"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक ८] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 फरवरी 2011—फाल्गुन 6, शक 1932

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 फरवरी 2011

क्रमांक ई-01-02/2011/एक/2.—श्री अजय पाल सिंह, भा.प्र.से. (1986) प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग रायपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल, बिलासपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

उक्त पद पर श्री अजय पाल सिंह, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 9 के तहत् मुख्य सचिव के वेतनमान का संवर्गीय पद अध्यक्ष राजस्व मण्डल के पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख सचिव वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.

2. श्री सिंह द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री बी. एल. अग्रवाल, भा.प्र.से. (1988) केवल अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल, बिलासपुर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2011

क्रमांक एफ 1-1/2011/1/5.—राज्य शासन एतदद्वारा, दुर्ग जिले के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 59-संजारी बालोद के उप निर्वाचन हेतु नियत मतदान की तिथि सोमवार, दिनांक 14 फरवरी, 2011 को मतदान के लिए उपरोक्त विधान सभा क्षेत्र में सामान्य अवकाश घोषित करता है.

2. क्रमांक एफ 1-1/2011/1/5.— भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25-56-पत्र-एक, दिनांक 08 जून, 1957 के साथ पढ़ी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इस्ट्रूमेंट्स एक्ट), 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतदद्वारा, दुर्ग जिले के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 59-संजारी बालोद के उप निर्वाचन हेतु नियत मतदान की तिथि सोमवार, दिनांक 14 फरवरी, 2011 को मतदान के लिए उपरोक्त विधान सभा क्षेत्र में सार्वजनिक अवकाश घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

परिवहन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 फरवरी 2011

क्रमांक 252.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतदद्वारा, छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग (राजपत्रित) सेवा के भर्ती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—**
   (1) ये नियम छत्तीसगढ़ परिवहन (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2010 कहलाएंगे.

   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ;—
   (क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, शासन;

   (ख) "आयोग" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ;

   (ग) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन ;

   (घ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ;

(च) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची ;

(छ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति ;

(ज) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति ;

(झ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, शासन द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्र. एफ 8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़ा वर्ग ;

(ञ) "सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ परिवहन (राजपत्रित) सेवा ;

(ट) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य.

3. **विस्तार तथा लागू होना.**— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे.

4. **सेवा का गठन.**— सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूलतः धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये हों, और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों.

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.**— सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची-एक में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार होगी.

परंतु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा वेतनमान में समय-समय पर या तो स्थायी या अस्थायी तौर पर वृद्धि या कमी कर सकेगी.

6. **भर्ती का तरीका.**—

(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात् :—

(क) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा जैसा कि अनुसूची-तीन के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है ;

(ख) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल हैसियत से धारण करते हों, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए.

(2) उप नियम (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची-एक में यथाविनिर्दिष्ट कर्त्तव्य पदों की संख्या के, अनुसूची-दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर शासन द्वारा आयोग के परामर्श से अवधारित की जायेगी.

(4) उप नियम (1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, यदि शासन की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति के साथ तथा लोक सेवा आयोग के परामर्श से, सेवा

में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उक्त नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा जिसे वह इस निमित्त जारी किए गए आदेश द्वारा विहित करे.

(5) भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे.

7. **सेवा में नियुक्ति.**— इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, शासन द्वारा की जाएगी तथा ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं.

8. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.**—

(1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति के लिए प्रारंभिक चयन करने हेतु एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची-तीन के कॉलम (7) में उल्लिखित सदस्य होंगे जिसमें कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का होगा.

(2) समिति की बैठक ऐसे अंतरालों में होगी जो साधारणत: एक वर्ष से अधिक की न हो.

(3) ऐसे पदों में जिसमें पदोन्नति का प्रतिशत आरक्षित हो, पदोन्नति के लिए उपलब्ध रिक्तियों के 15 प्रतिशत तथा 23 प्रतिशत क्रमश: अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित ऐसे अधिकारियों के लिए होंगे, जो नियम 9 के प्रावधानों के अनुसार पदोन्नति के लिये पात्र हों जिसमें अनुसूची-दो के कॉलम (4) के अन्तर्गत एक से अधिक पद होने पर मॉडल रोस्टर का अनुसरण किया जायेगा.

(4) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों का आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया, उप नियम (3) के अन्तर्गत एवं शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गए निर्देशों के अनुसार रहेगी.

9. **पदोन्नति/स्थानांतरण के लिए पात्रता संबंधी शर्तें.**—

(1) अनुसूची-तीन के कॉलम (4) में दर्शाये गये अनुसार समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में) सेवा की ऐसी कालावधि जो कि अनुसूची-तीन के कॉलम (5) में दर्शित है, पूर्ण कर ली हो तथा विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों.

स्पष्टीकरण :— पदोन्नति हेतु पात्रता की संगणना की रीति :—संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को, अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक, फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया है और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं.

(2) ऐसे मामलों में जहां पदोन्नति, वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता (सीनियारिटी कम फिटनेस) के आधार पर अथवा अनुपयुक्त व्यक्ति को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर दी जानी हो, वहां सभी संवर्गों के लिए विचारण हेतु कोई भी आधार नहीं होगा. केवल लोक सेवकों की ऐसी प्रस्तावित संख्या पर विचार किया जायेगा जो कि प्रत्येक प्रवर्ग में विद्यमान हो तथा उस वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त होने वाली पद की संख्या हों.

(3) शासन द्वारा पदोन्नति हेतु विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति दी जाएगी.

(4) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अनुसार पदोन्नति दी जायेगी.

10. **उपयुक्त अधिकारियों की सूची तैयार करना.**—

(1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो उपर्युक्त नियम 9 में विहित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझा गया हो. यह सूची, चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होगी. उक्त सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की 25 प्रतिशत संख्या को समाविष्ट करते हुए, पूर्वोक्त कालावधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए आरक्षित सूची भी तैयार की जायेगी.

(2) सेवा के सदस्यों की अन्तर वरिष्ठता, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार शासन द्वारा निर्धारित की जायेगी.

(3) इस प्रकार तैयार की गई सूची, प्रति वर्ष पुनर्विलोकित तथा पुनरीक्षित की जायेगी.

(4) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में, सेवा के किसी सदस्य का अवक्रमण किया जाना प्रस्तावित हो, तो समिति, प्रस्तावित अवक्रमण के लिए अपने कारण अभिलिखित करेगी.

11. **आयोग से परामर्श.—**

(1) विभागीय पदोन्नति समिति, जिसकी अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष या सदस्य द्वारा की गई हो, की सिफारिश के संबंध में यह समझा जायेगा कि संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के उप-खण्ड (ख) के अधीन, आयोग के साथ परामर्श करने की अपेक्षा का अनुपालन हो गया है तथा, आयोग के साथ पृथक से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा.

12. **चयन सूची.—**

(1) शासन, समिति से प्राप्त हुए अन्य दस्तावेजों के साथ-साथ समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा और यदि उसमें वह कोई परिवर्तन आवश्यक न समझे तो उसे अनुमोदित करेगा.

(2) यदि शासन, समिति से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह प्रस्तावित परिवर्तनों के संबंध में समिति को सूचित करेगा तथा समिति, उस पर यदि कोई मत प्रकट करे तो उस पर ध्यान देते हुए, ऐसे संशोधनों सहित, यदि कोई हो, जो उसकी राय में न्यायोचित तथा उपयुक्त हो, सूची को अंतिम रूप से अनुमोदित कर सकेगा.

(3) शासन द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची, सेवा के सदस्यों की अनुसूची-तीन के कॉलम (4) में उल्लिखित पद से, उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लिखित पद पर पदोन्नति हेतु चयन सूची होगी.

(4) चयन सूची, नियम 10 के उपनियम (3) के अन्तर्गत प्रावधानों के अनुसार अनुमोदन की तारीख से 12 माह की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी. इसकी वैधता, लोक सेवा आयोग की पूर्व सहमति के साथ 6 माह के लिए आगे बढ़ाई जा सकेगी और इसे किसी भी दशा में 18 माह की कालावधि के पश्चात् नहीं बढ़ाया जायेगा.

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्य के निर्वहन अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, शासन के कहने पर चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा, और यदि समिति उचित समझे, तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगी.

13. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.—**

(1) चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्तियों में, उसी क्रम का अनुपालन किया जायेगा जिस क्रम में ऐसे अधिकारियों के नाम चयन सूची में आये हों.

परन्तु जहां प्रशासकीय अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, वहां व्यक्ति जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित नहीं है अथवा जो चयन सूची में आगामी क्रम में नहीं है, सेवा में नियुक्त किया जा सकेगा, यदि शासन का यह समाधान हो जाये कि रिक्तियां तीन माह से अधिक समय के लिये संभाव्य नहीं है.

(2) साधारणत: ऐसा व्यक्ति जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व आयोग से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किए जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की अवधि में उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाए, जो शासन की राय में सेवा में नियुक्ति के लिए उसे अनुपयुक्त सिद्ध करती हो.

(3) ऐसा व्यक्ति जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित है, पदोन्नत नहीं किया जायेगा यदि उसकी विभागीय जांच चल रही हो या उसके विरुद्ध अभियोजन संस्थित हो, जब तक कि वह यथास्थिति उस जांच या अभियोजन में पूर्णरूपेण दोषमुक्त न हो जाये.

14. **निर्वचन.**— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उदभूत हो, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा.

15. **शिथिलीकरण.**— इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को जो उसे उचित और साम्यपूर्ण प्रतीत हो, सीमित या कम करती है.

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो इन नियमों में उपबन्धित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो.

16. **निरसन तथा व्यावृत्ति.**—

(क) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं.

(ख) इन नियमों की कोई भी बात, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए, राज्य शासन द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार दिये जाने वाले अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी.

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. मरावी, सचिव.

अनुसूची-एक
(नियम-5 देखिए)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	अपर परिवहन आयुक्त	01	प्रथम श्रेणी	37400-67000+ग्रेड वेतन 8900	
2.	संयुक्त परिवहन आयुक्त	01	प्रथम श्रेणी	37400-67000+ग्रेड वेतन 8700	
3.	उप परिवहन आयुक्त	02	प्रथम श्रेणी	15600-39100+ग्रेड वेतन 7600	
4.	वरिष्ठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी	04	प्रथम श्रेणी	15600-39100+ग्रेड वेतन 6600	
5.	उप संचालक वित्त	01	प्रथम श्रेणी	15600-39100+ग्रेड वेतन 6600	
6.	तकनीकी अधिकारी (परिवहन)	01	द्वितीय श्रेणी	15600-39100+ग्रेड वेतन 5400	
7.	चीफ प्रोग्रामर अधिकारी	01	द्वितीय श्रेणी	15600-39100+ग्रेड वेतन 5400	
8.	आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी	01	द्वितीय श्रेणी	15600-39100+ग्रेड वेतन 5400	
9.	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी	06	द्वितीय श्रेणी	15600-39100+ग्रेड वेतन 5400	
10.	सहायक परिवहन आयुक्त, (विधि)	01	द्वितीय श्रेणी	15600-39100+ग्रेड वेतन 5400	
11.	सहायक परिवहन आयुक्त	02	द्वितीय श्रेणी	15600-39100+ग्रेड वेतन 5400	
12.	सांख्यिकी अधिकारी	01	द्वितीय श्रेणी	15600-39100+ग्रेड वेतन 5400	

अनुसूची-दो
(नियम-6 देखिए)

स. क्र.	विभाग का नाम	सेवा का नाम	पद का नाम	पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या तथा प्रतिशत		
					सीधी भर्ती द्वारा	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवा के सदस्यों के स्थानांतरण द्वारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	परिवहन विभाग	छत्तीसगढ़ परिवहन (राजपत्रित) सेवा	अपर परिवहन आयुक्त	01	-		प्रतिनियुक्ति द्वारा
2.			संयुक्त परिवहन आयुक्त	01	-	100%	
3.			उप परिवहन आयुक्त	02	-	100%	
4.			वरिष्ठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी	04	-	100%	
5.			उप संचालक वित्त	01	-		वित्त विभाग से प्रतिनियुक्ति द्वारा.
6.			तकनीकी अधिकारी, (परिवहन)	01	-	100%	
7.			चीफ प्रोग्रामर अधिकारी	01	-		सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग अथवा अन्य तकनीकी विभाग से प्रतिनियुक्ति द्वारा.
8.			आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी	01	-		छत्तीसगढ़ सिविल सेवा अथवा छत्तीसगढ़ लेखा सेवा या महा-लेखाकार, छत्तीससगढ़ से प्रतिनियुक्ति द्वारा.
9.			क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी	06	-	100%	
10.			सहायक परिवहन आयुक्त (विधि)	01	-		प्रतिनियुक्ति द्वारा
11.			सांख्यिकी अधिकारी	01	-		छत्तीसगढ़ सांख्यिकी सेवा से स्थानान्तरण द्वारा.
12.			सहायक परिवहन आयुक्त	02	-	100%	

अनुसूची-तीन

(नियम-8 व 9 देखिए)

स. क्र.	विभाग का नाम	सेवा का नाम	पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के के लिए न्यूनतम अनुभव	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	परिवहन विभाग	छत्तीसगढ़ परिवहन (राजपत्रित) सेवा	उप परिवहन आयुक्त प्रथम श्रेणी	03 वर्ष	संयुक्त परिवहन आयुक्त प्रथम श्रेणी	1. लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष के अध्यक्ष या उनके द्वारा नाम निर्देशित एक सदस्य. 2. अतिरिक्त प्रमुख —सदस्य सचिव/प्रमुख सचिव या सचिव परिवहन. 3. परिवहन आयुक्त —सदस्य छत्तीसगढ.
2.			वरिष्ठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रथम श्रेणी	05 वर्ष	उप परिवहन आयुक्त प्रथम श्रेणी	—,,—
3.			सहायक परिवहन आयुक्त/ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/ तकनीकी अधिकारी, (परिवहन) द्वितीय श्रेणी	05 वर्ष	वरिष्ठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रथम श्रेणी	—,,—
4.			सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी तृतीय श्रेणी	05 वर्ष	सहायक परिवहन आयुक्त/ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/ तकनीकी अधिकारी, (परिवहन) द्वितीय श्रेणी	—,,—

Raipur, the 17th February 2011

No. 252.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby makes the following rules relating to the recruitment of the Chhattisgarh Transport Department (Gazetted) Services, namely :—

RULES

1. **Short Title and Commencement.—**

(1) These rules shall be called the Chhattisgarh Transport (Gazetted) Services Recruitment Rules, 2010.

(2) It shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**— In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Appointing Authority" in respect of the service means the Government ;

(b) "Commission" means the Chhattisgarh Public Service Commission ;

(c) "Government" means the Government of Chhattisgarh ;

(d) "Govermor" means the Governor of Chhattisgarh ;

(e) "Schedule" means the Schedule appended to these rules ;

(f) "Scheduled Castes" means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article. 341 of the Constitution of India ;

(g) "Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article. 342 of the Constitution of India ;

(h) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F 8-5-xxv-4-48, Dated 26th December, 1984 as amended from time to time ;

(i) "Service" means the Chhattisgarh Transport (Gazetted) Service ;

(j) "State" means the State of Chhattisgarh.

3. **Scope and Application.**—Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. **Constitution of the service.**—The service shall consist of the following persons, namely :—

(1) Persons who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in Schedule-I ;

(2) Persons recruited to the service before the commencement of these rules ; and

(3) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, Scale of Pay etc.**— The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto shall be as per the provisions mentioned in Schedule-I ;

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts and pay scale included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of recruitment.**—

(1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the following method, namely :—

(a) by promotion of the members of the service as specified in column (4) of Schedule-III ;

(b) by transfer/deputation of persons, who hold in substantive capacity, such posts in such service as may be specified in this behalf.

(2) The number of the persons recruited under clause (a) or clause (b) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of duty posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Government in consultation with the Commission.

(4) Notwithstanding any thing contained in sub-rule (1) if in the opinion of the Government the exigencies of the service so require, the Government may, with the prior concurrence of the General Administration Department and in consultation with the Public Service Commission shall adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may by order issued in this behalf, prescribe.

(5) At the time of recruitment the provisions of the Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyma, 1994 and directions issued by General Administration Department from time to time shall be applicable.

7. **Appointment in service.**— All appointments in the service after the commencement of these rules shall be made by the Government and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Appointment by promotion.**—

(1) There shall be constituted a committee consisting of the members mentioned in column (7) of Schedule-III, with minimum one member of Scheduled Castes or Scheduled Tribes for making a selection for promotion of eligible candidates.

(2) The Committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) 15 percent and 23 percent of the available vacancies for pomotion to such posts in which the percentage of promotion is reserved for such officers belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes respectively who as are eligible for promotion in accordance with the provisions of rule 9 under Schedule-II of cloumn (4) for more than one post according to model roster.

(4) The procedure for making promotion to the vacancies reserved for candidates of Scheduled Castes and Scheduled Tribes under sub-rule (3) shall be in accordance with the instructions issued by the General Administration Department of the Government from time to time.

9. **Conditions regarding eligibility for Promotion/Transfer.**—The committee shall consider the cases of all persons as shown in column (4) of Schedule -III, who on the 1st day of January of that year, had completed such period of service, (whether officiating or substitutive), mentioned in column (5) of Schedule-III, and are within the zone of consideration.

Explanation :— Method of calculation of eligibility for promotion :— The calculation of the period of qualifying services on 1st January of the relevant year in which the departmental promotion committee/selection committee is convened shall be counted from the calendar year in which the public servant has joined the feeder cadre/part of service/pay scale of the post and not from the date of joining of the cadre/part of service/pay scale of the post.

(2) In such cases where promotion is to be given on seniority-cum-fitness basis or on seniority basis leaving unsuitable candidate, there will be no grounds for consideration for all categories. Proposal of such number of public servants shall only be considered that are existing in each category and number of posts going to be vacated due to retirement during that year.

(3) Promotion shall be made as per Reservation Roster prescribed by the Government for promotion.

(4) Promotion shall be made according to Chhattisgarh Lok Seva (Paddonnati) Niyam, 2003.

10. **Preparation of the list of suitable officers.**—

(1) The committee shall prepare a list of such persons who satisfy the conditions prescribed in rule 9 above and as are held by the committee to be suitable for promoting to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list. A reserve list consisting of 25 percent of the number of persons included in the said list shall also be prepared to meet unforeseen vacancies occurring during the course of the aforesaid period.

(2) The inter seniority of the members of the service shall be derermined by the Government as per the provision of the Chhattisgarh Lok Seva (Paddonnati) Niyam, 2003.

(3) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(4) If, in the process of selection, review or revision, it is proposed to supersede any member of the service, the committee shall record its reasons for the proposed supersession.

11. **Consultation with the Commission.**—The recommendation of the Departmental Promotion Committee presided over by the Chairman or a member of the Commission shall be deemed to be compliance of the requirement of the consultation with the Commission under sub-clause (b) of clause (3) of Article 320 of the Constitution and a separate consultation with the Commission shall not be necessary.

12. **Select list.**—

(1) The Government shall consider the list prepared by the Committee along with other documents received from the Committee and unless it considers any change necessary, approve the list.

(2) If the Government considers it necessary to make any change in the list received from the committee, it shall inform the Committee of the change proposed and after taking into account the comments, if any, of the Committee may approve the list finally with such modifications if any, as may in its opinion be just and proper.

(3) The list as finally approved by the Government shall be the select list for promotion of the members of the service from the posts mentioned in column (4) of the Schedule-III to the posts mentioned in column (6) of said Schedule.

(4) The select list shall be valid for a period of 12 months from the date of approval as provided under sub-rule (3) of rule 10. The validity may be further extended for 6 months with the prior consent of the Public Service Commission and it shall not be extended beyond a period of 18 months in any case :-

Provided that in the event of grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any persons included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Government and the Committee, may if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

13. **Appointment in the service from the select list.**—

(1) Appointment of the officers included in the select list in the posts borne on the cadre of the service shall follow the order in which the names of such officers appear in the select list :

Provided that, where administrative exigencies so require, a person whose name is not included in the select list or who is not next in order in the select list, may be appointed in the service if the Government is satisfied that the vacancies is not likely to last for more than three months.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Commission before appointment of a person whose name is included in the select list in the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of the proposed appointment there occurs any deterioration in his work which in the opinion of the Government, is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

(3) A person, whose name is included in the select list, shall not be promoted, if he is facing a departmental enquiry or prosecution is about to be instituted against him, until he has been completely exonerated in that enquiry or prosecution as the case may be.

14. **Interpretation.**— If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government whose decision thereon shall be final.

15. **Relaxation.**— Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to it to be just and equitable :

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

16. **Repeal and Saving.—**

(a) All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed, in respect of matters covered by these rules.

(b) Nothing in these rules shall affect the reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in acoordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard :

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions, of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
B. S. MARAWI, Secretary.

SCHEDULE-I
(See Rule-5)

Sl. No. (1)	Name of posts included in the service (2)	Number of posts (3)	Classification (4)	Scale of Pay (5)	Remarks (6)
1.	Additional Transport Commissioner	01	Class-I	37400-67000 + Grade Pay 8900	
2.	Joint Transport Commissioner	01	Class-I	37400-67000 + Grade Pay 8700	
3.	Deputy Transport Commissioner	02	Class-I	15600-39100 + Grade Pay 7600	
4.	Senior Regional Transport Officer	04	Class-I	15600-39100 + Grade Pay 6600	
5.	Deputy Director of Finance	01	Class-I	15600-39100 + Grade Pay 6600	
6.	Technical Officer (Transport)	01	Class-II	15600-39100 + Grade Pay 5400	
7.	Chief Programmer Officer	01	Class-II	15600-39100 + Grade Pay 5400	
8.	Internal Account Training Officer	01	Class-II	15600-39100 + Grade Pay 5400	
9.	Regional Transport Officer	06	Class-II	15600-39100 + Grade Pay 5400	
10.	Assistant Transport Commissioner (Law)	01	Class-II	15600-39100 + Grade Pay 5400	
11.	Assistant Transport Commissioner	02	Class-II	15600-39100 + Grade Pay 5400	
12.	Statistical Officer	01	Class-II	15600-39100 + Grade Pay 5400	

SCHEDULE-II
(See Rule-6)

Sl. No.	Name of Department	Name of Service	Name of Post	Number of Posts	Number of posts to be filled up and Percentage		
					By Direct Recruitment	By promotion of Service Member	Other Service Members by their Transfer
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Transport Department	Chhattisgarh Transport (Gazetted) Service	Additional Transport Commissioner	01	—		By Deputation
2.			Joint Transport Commissioner	01	—	100%	
3.			Deputy Transport Commissioner.	02	—	100%	
4.			Senior Regional Transport Officer.	04	—	100%	
5.			Deputy Director of Finance	01	—		By Deputation from Finance Department
6.			Technical Officer (Transport)	01	—	100%	
7.			Chief Programmer Officer	01	—		By Deputation from Information and Technology Department or other Technical Department.
8.			Internal Accounts Training Officer.	01	—		By Deputation from Chhattisgarh Civil Service or Chhattisgarh Account Service or Accountant General, Chhattisgarh.
9.			Regional Transport Officer	06	—	100%	
10.			Assistant Transport Commissioner (Law)	01	—		By Deputation
11.			Statistical Officer	01	—		By Transfer from Chhattisgarh Statistical Service.
12.			Assistant Transport Commissioner.	02	—	100%	

SCHEDULE-III
(See Rule-8 and 9)

Sl. No.	Name of Depart-ment	Name of Service	Name of post from which Promotion is to be made	Minimum experience for Promotion	Name of post to which Promotion is to be made	Name of the members of Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Transport Depart-ment	Chhattisgarh Transport (Gazetted) Service	Deputy Transport Commissioner Class-I	03 Years	Joint Trasport Commissioner Class-I	1. Chairman —Chairman of the Public Service Commission or a member nominated by him. 2. Additional — Member Principal Sec-retary/Principal Secretary or Secretary, Transport. 3. Transport — Member Commissioner Chhattisgarh.
2.			Senior Regional Transport Officer Class-I	05 Years	Deputy Transport Commissioner Class-I	—"—
3.			Assistant Transport Commissioner/ Regional Transport Officer/Technical Officer (Transport) Class-II	05 Years	Senior Regional Transport Officer Class-I	—"—
4.			Assistant Regional Transport Officer/ District Transport Officer Class-III	05 Years	Assistant Transport Commissioner/ Regional Transport Officer/Technical Officer (Transport) Class-II	—"—

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 22 जनवरी 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	भेन्ड्रा प. ह. नं. 8	16.689	मुख्य प्रबंधक, पावर ग्रिड कार-पोरेशन ऑफ इंडिया, लिमिटेड ग्राम कोतरा, जिला रायगढ़.	पावर ग्रिड कारपोरेशन द्वारा 765/400 के. व्ही. उपकेन्द्र निर्माण किये जाने हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 जनवरी 2011

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2010-11.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	बरपाली प. ह. नं. 33	30.876	मुख्य प्रबंधक, पावर ग्रिड कार-पोरेशन ऑफ इंडिया, लिमिटेड ग्राम कोतरा, जिला रायगढ़.	पावर ग्रिड कारपोरेशन द्वारा 765/400 के. व्ही. उपकेन्द्र निर्माण किये जाने हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2010

क्रमांक 08/अ-82/07-08/अ.वि.अ./10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	कोटा प. ह. नं. 14	0.097	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण पेण्ड्रा संभाग, पेण्ड्रारोड.	कोटा नवागांव सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंशल, प्रभारी कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

बिलासपुर, दिनांक 2 फरवरी 2011

क्रमांक 04/अ-82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	लमेर प.ह.नं. 29	11.20	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	लछनपुर व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत आर.बी.सी. नहर निर्माण कार्य के लिए.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 2 फरवरी 2011

क्रमांक 05/अ-82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :---

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	गौबंद प.ह.नं. 29	7.46	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	लछनपुर व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत आर.सी.सी. नहर निर्माण कार्य के लिए.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 2 फरवरी 2011

क्रमांक 13/अ-82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	नरगोड़ा	2.70	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	बिटकुली (कबीरधाम) जला. नरगोड़ा शाखा नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 2 फरवरी 2011

क्रमांक 14/अ-82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	पोंड़ी	9.16	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	बिटकुली (कर्पाधाम) जला. नरगोड़ा, शाखा नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 2 फरवरी 2011

क्रमांक 15/अ-82/2009-10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	बिटकुला	2.57	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	रामवतार जलाशय नहर निर्माण एवं स्पील चैनल हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 2 फरवरी 2011

क्रमांक 16/अ-82/2010-11 — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	जेवरा	2.23	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	जेवरा जलाशय नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 7 फरवरी 2011

क्रमांक 12/अ-82/2008-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	बिटकुला	2.525	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	रामवतार जलाशय डुबान एवं उलट द्वार हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 फरवरी 2011

क्रमांक 17/अ-82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	कछार	6.18	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	लछनपुर व्यपवर्तन बायीं तट नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 फरवरी 2011

क्रमांक 18/अ-82/2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	अमतरा	7.09	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर.	लछनपुर व्यपवर्तन बायीं तट नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणी बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 28 जनवरी 2011

क्रमांक 512 क/भू-अर्जन/1/अ-82/वर्ष 2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि को अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	कुरूद	कोसमर्रा	1.80	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, धमतरी संभाग, धमतरी.	कोसमर्रा, लोहारपथरा मार्ग.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कुरूद, मुख्यालय कुरूद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 28 जनवरी 2011

क्रमांक 513/भू-अर्जन/01/अ/82 वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-धमतरी
- (ख) तहसील-कुरूद
- (ग) नगर/ग्राम-पचपेड़ी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.62 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1256	0.08
	1246	0.14
	1248	0.08
	1252	0.29
	1259/3	0.03
योग	5	0.62

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पचपेड़ी-गाड़ाडीह मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कुरूद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2010

क्रमांक/01/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर, छ. ग.
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-मेढपार, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.48 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
273/1	0.29
511/1	0.15
511/2	0.20
510	0.42
509	0.32
495/1	0.10
योग	1.48

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सांकेत मेंढ़पार मार्ग पर मनियारी सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंशल, प्रभारी कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 5 जनवरी 2011

क्रमांक/क/भू-अर्जन/प्र.क्र.-12 अ/82 वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-भाटापारा
- (ग) नगर/ग्राम-गुडाघाट
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.462 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	99/1	0.126
	99/2	0.053
	98/1	0.109
	98/2	0.036
	100	0.138
योग	5	0.462

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है मोतिमपुर एनीकट के पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर

देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों की अनुज्ञप्तियों का आवेदन पत्र प्रणाली में व्यवस्थापन वर्ष 2011–12

रायपुर, दिनांक 8 फरवरी, 2011

क्रमांक/आब/ठेका/2011/**259**.— सर्वसाधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिए, राज्य शासन के आदेशानुसार, यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित सम्पूर्ण देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के लायसेंस **वर्ष 2011–12 अर्थात् दिनांक 01 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक** की अवधि के लिए छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 एवं उसके अधीन बनाए गए **छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2002** के अन्तर्गत आवेदन प्रणाली से निष्पादित किए जावेंगे। देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों/समूह के आबंटन के लिए संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा उनके जिले के लिए घोषित तिथि एवं स्थानों पर इच्छुक आवेदनकर्ताओं से निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जावेंगे। आवेदन पत्र आमंत्रित करने की अंतिम तिथि एवं समय तथा कम्प्यूटर द्वारा लॉटरी से चयन करने की तिथियों का कार्यक्रम निम्नानुसार रहेगा :–

वर्ष 2011–12 के लिए सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के समूहों के लिए आवेदन प्राप्त करने एवं आबंटन की तिथियाँ

समूह	जिले का नाम		आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	लॉटरी द्वारा लायसेंसी का चयन करने का स्थान	लॉटरी द्वारा चयन करने की तिथि एवं समय
1.	2.		3.	4.	5.
प्रथम समूह	1.	बिलासपुर	22.02.2011 सायकाल 5.30 बजे तक	कलेक्टोरेट, बिलासपुर	08.03.2011 दोपहर 11.00 बजे से
	2.	कांकेर		कलेक्टोरेट, कांकेर	
द्वितीय समूह	1.	जांजगीर–चांपा	23.02.2011 सायकाल 5.30 बजे तक	कलेक्टोरेट, जांजगीर–चांपा	09.03.2011 दोपहर 11.00 बजे से
	2.	बस्तर		कलेक्टोरेट, बस्तर	
	3.	नारायणपुर		कलेक्टोरेट, बस्तर	
तृतीय समूह	1.	महासमुंद	24.02.2011 सायकाल 5.30 बजे तक	कलेक्टोरेट, महासमुंद	10.03.2011 दोपहर 11.00 बजे से
	2.	कबीरधाम		कलेक्टोरेट, कबीरधाम	

चतुर्थ समूह	1.	राजनांदगांव	25.02.2011 सायंकाल 5.30 बजे तक	कलेक्टोरेट, राजनांदगांव	11.03.2011 दोपहर 11.00 बजे से
	2.	दंतेवाड़ा		कलेक्टोरेट, दंतेवाड़ा	
	3.	बीजापुर		कलेक्टोरेट, दंतेवाड़ा	
पंचम समूह	1.	रायपुर	26.02.2011 सायंकाल 5.30 बजे तक	कलेक्टोरेट, रायपुर	14.03.2011 दोपहर 11.00 बजे से
	2.	जशपुर		कलेक्टोरेट, जशपुर	
षष्टम समूह	1.	रायगढ़	28.02.2011 सायंकाल 5.30 बजे तक	कलेक्टोरेट, रायगढ़	15.03.2011 दोपहर 11.00 बजे से
	2.	कोरिया		कलेक्टोरेट, कोरिया	
सप्तम समूह	1.	दुर्ग	1.03.2011 सायंकाल 5.30 बजे तक	कलेक्टोरेट, दुर्ग	22.03.2011 दोपहर 11.00 बजे से
	2.	सरगुजा		कलेक्टोरेट, सरगुजा	
अष्टम समूह	1.	कोरबा	03.03.2011 सायंकाल 5.30 बजे तक	कलेक्टोरेट, कोरबा	16.03.2011 दोपहर 11.00 बजे से
	2.	धमतरी		कलेक्टोरेट, धमतरी	

2/ छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय, रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 2–69/2008/वाक(आब)/पाँच,दिनांक 13.01.2009 के अनुसार, नवगठित जिले **नारायणपुर** एवं **बीजापुर** में आबकारी विभाग के जिला आबकारी अधिकारी के नये कार्यालयों की स्थापना स्वीकृति के फलस्वरूप **जिला आबकारी अधिकारी, नारायणपुर** एवं **जिला आबकारी अधिकारी, बीजापुर** को **"कार्यालय प्रमुख"** घोषित किया गया है। नवनिर्मित जिले क्रमशः **"नारायणपुर"** एवं **"बीजापुर"** में आबकारी विभाग के अन्तर्गत जिला आबकारी अधिकारी की पदस्थापना नहीं हुई है।

अतः शासन द्वारा नवगठित दोनों जिलों क्रमशः नारायणपुर एवं बीजापुर में स्थित देशी/विदेशी मदिरा दुकान/समूहों को आगामी वर्ष 2011–12 के लिए व्यवस्थापन करने के संबंध में आवेदन पत्र आमंत्रित करने तथा कम्प्यूटर द्वारा लॉटरी के माध्यम से अनुज्ञापी का चयन करने तथा उपर्युक्त दोनों जिलों की देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के आबंटन पश्चात् अग्रिम धन जमा कराने, अनुज्ञप्तियाँ जारी करने आदि से संबंधित समस्त कार्य नवगठित जिलों में पदस्थ कलेक्टर के अधीन जिला आबकारी अधिकारी, बस्तर एवं द.ब.दन्तेवाड़ा द्वारा किया जावेगा। **उक्त नवगठित जिला–नारायणपुर के अन्तर्गत स्थित देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के लिए वर्ष 2011–12 हेतु आवेदन पत्र जिला आबकारी अधिकारी, बस्तर एवं जिला–बीजापुर के अन्तर्गत स्थित देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के लिए वर्ष 2011–12 हेतु आवेदन पत्र जिला आबकारी अधिकारी, द.ब.दन्तेवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत किए जावेंगे तथा दोनों नवगठित जिलों की देशी/विदेशी मदिरा दुकानों/समूहों के आबंटन की कार्यवाही कलेक्टर, नारायणपुर एवं बीजापुर द्वारा क्रमशः जिला बस्तर एवं जिला द.ब.दन्तेवाड़ा में सम्पन्न की जावेगी।**

3/ उक्त दिये गये कार्यक्रम के अनुसार कलेक्टर्स द्वारा उनके जिले की नियत तिथि की विज्ञप्ति प्रसारित/प्रकाशित की जावेगी, जिसमें उनके जिले की देशी/विदेशी मदिरा की

फुटकर दुकान/समूह के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा, ड्यूटी की राशि, लायसेंस फीस की राशि, वार्षिक राजस्व लक्ष्य, लायसेंस फीस का 1/12वाँ भाग व न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर देय ड्यूटी राशि का 1/12वाँ भाग प्रतिभूति धनराशि एवं एक माह की लायसेंस फीस की राशि आदि की जानकारी अंकित होगी।

4/ देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान/समूहों के आबंटन के लिए वे ही व्यक्ति/ फर्म/कम्पनी आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं, जो छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 एवं उसके अधीन निर्मित नियमों तथा छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों की बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2002 यथासंशोधित के तहत आबकारी लायसेंस प्राप्त करने की पात्रता रखते हों।

5/ नियमों, मादक द्रव्यों की खपत, निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा, वर्ष 2011–12 के लिए निर्धारित ड्यूटी दरें आदि की विस्तृत जानकारी संबंधित सहायक आयुक्त आबकारी/ जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से अवकाश के दिनों को छोड़कर, किसी–भी दिन कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है। जो व्यक्ति इस राज्य की देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान/समूहों को लेने के लिए भाग लेना चाहता हो, वह सम्बन्धित जिले की देशी/ विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान/समूहों के लिए विहित प्रपत्र पर आवेदन पत्र नियत तिथि तक निर्धारित समय के पूर्व सम्बन्धित जिले के सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकता है।

6/ समस्त कलेक्टर द्वारा उनके जिले की देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान/ समूह के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं कम्प्यूटर के माध्यम से सार्वजनिक लॉटरी द्वारा अनुज्ञापी का चयन करने के लिए नियत तिथियों की विज्ञप्ति प्रसारित/प्रकाशित की जावेगी, जिसमें उनके जिले की देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान/समूह के लिए निर्धारित प्रोसेस फीस, प्रत्याभूत मात्रा, ड्यूटी की राशि, लायसेंस फीस की राशि, वार्षिक राजस्व लक्ष्य, लायसेंस फीस का 1/12वाँ भाग व प्रत्याभूत मात्रा पर देय ड्यूटी राशि का 1/12वाँ भाग प्रतिभूति धनराशि एवं एक माह की अग्रिम लायसेंस फीस की राशि आदि की जानकारी अंकित होगी।

7/ वर्ष 2011–12 के लिए देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान/समूह का आबंटन छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 एवं उसके अधीन बनाए गए छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2002 के अन्तर्गत किया जावेगा। **आबंटन के संबंध में प्रचलित प्रावधान एवं शर्तें आदि निम्नानुसार होंगी :–**

(1) **फुटकर बिक्री के लिए लायसेंसों का व्यवस्थापन :–**

(1.1) उक्त नियमों और लायसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि के भुगतान के अध्यधीन रहते हुए, देशी/विदेशी मदिरा की बिक्री के लिए फुटकर दुकान/ दुकानों के समूह की निर्दिष्ट फीस 12 मासिक किश्तों में देय प्रणाली के अन्तर्गत देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों/समूहों का व्यवस्थापन या पुर्नव्यवस्थापन किया जायेगा।

(1.2) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के अन्तर्गत निर्मित सामान्य लायसेंस शर्त 2 (1) के अनुसार, अनुज्ञप्तिधारी देशी/विदेशी मदिरा दुकान/समूह की दुकानों की मासिक अनुज्ञप्ति फीस प्रत्येक माह के प्रथम कार्य दिवस को या उसके पूर्व संबंधित जिले के कोषालय/उप–कोषालय में जमा करेगा।

लायसेंसी को मासिक किश्त उस माह के दसवें कार्य दिवस तक जमा करने की सुविधा रहेगी।

(1.3) उक्त खण्ड (1.2) के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारी, देशी/विदेशी मदिरा दुकान/समूह की दुकानों की मासिक अनुज्ञप्ति फीस संबंधित माह के दसवें कार्य दिवस तक जिले के कोषालय/उप-कोषालय में जमा करने में असफल रहता है, तो ऐसा अनुज्ञप्तिधारी, उनके विरुद्ध अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली अन्य कार्यवाहियों के साथ-साथ, वह बकाया अनुज्ञप्ति फीस की राशि पर 12% वार्षिक (अर्थात् 1% मासिक) की दर से साधारण ब्याज भुगतान करने के लिए भी दायी होगा।

(1.4) देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति, इन संशोधित नियमों के संलग्न प्रपत्र उपाबन्ध 1 व 2 पर क्रमशः सी.एस.2-घ व एफ.एल. 1-घ में मंजूर किये जावेंगे तथा विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों को, उसके संलग्न परिसर में अहाता सुविधा हेतु अनुज्ञप्ति छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उप-नियम (1) के खण्ड (ककक) के अधीन प्ररूप एफ.एल.1ख में मंजूर किए जावेंगे।

(2) **मदिरा दुकानों के समूह का गठन :-**

(2.1) अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे से नजदीक स्थित दो से अनधिक देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के समूह बनाये जाकर, समूह का आबंटन किया जावेगा, जिसमें एक ही स्थान की देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान एक ही समूह में रखी जावेगी। देशी/विदेशी मदिरा के समूह के आबंटन उपरान्त एवं निर्धारित अग्रिम धनराशियाँ आदि की पूर्ति कर दिये जाने उपरांत अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा समूह की दुकानों के लिए चयनित आवेदकों को वर्ष 2011-12 के लिए दुकानवार लायसेंस जारी किए जायेंगे।

(2.2) एक आवेदक (व्यक्ति/फर्म/कम्पनी) किसी भी जिले में दो समूह से अधिक समूहों के लिये लायसेंस अभिप्राप्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार कोई भी आवेदक (व्यक्ति/फर्म/कम्पनी) एक जिले में एक समूह के लिए एक से अधिक आवेदन पत्र नहीं दे सकेगा।

(3) **आवेदन पत्र के साथ प्रोसेस फीस -**

(3.1) किसी देशी/विदेशी मदिरा दुकानों की फुटकर दुकानों/समूहों की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन प्रणाली में आबंटन करने के लिए इच्छुक आवेदनकर्ताओं के द्वारा किये जाने वाले निर्धारित आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र के साथ प्रोसेस फीस रुपये 4000/- जमा की जावेगी। प्रोसेस फीस की राशि न तो लायसेंस फीस में समायोजन योग्य होगी और न ही यह राशि अनुज्ञप्ति स्वीकृत न होने पर वापसी योग्य होगी।

(3.2) उपरोक्त "**प्रोसेस फीस**" राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा शैड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से जारी बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा बैंक के कैश ऑर्डर के रूप में अथवा नगद राशि विभाग के "**मुख्य शीर्ष 0039-राज्य उत्पादन शुल्क, 800-अन्य प्राप्तियाँ, 0761-विविध**

प्राप्तियाँ (देशी / विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान / समूह हेतु प्रोसेस फीस)" के मद में चालान द्वारा जमा कराई जाकर, आवेदन पत्र के साथ बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा बैंक के कैश ऑर्डर अथवा चालान की मूलप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रोसेस फीस की राशि न तो लायसेंस फीस में समायोजित की जायेगी और न ही यह राशि लायसेंस प्राप्त न होने की स्थिति में वापसी योग्य होगी।

(3.3) प्रोसेस फीस की राशि नगद जमा करने की स्थिति में, यथा संभव उसी जिले के कोषालय / उप–कोषालय में जमा की जावेगी, जिस जिले की देशी / विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान / समूह के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

(4) देशी / विदेशी मदिरा दुकान / समूह के आबंटन के लिए आवेदन पत्र :–

(4.1) इच्छुक आवेदनकर्ताओं की जानकारी हेतु वर्ष 2011–12 के लिए आवेदन प्रणाली में आबंटित की जाने वाली देशी / विदेशी मदिरा के समूह में सम्मिलित फुटकर दुकान / दुकानों की सूची, वार्षिक निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत की मात्रा, वार्षिक ड्यूटी की राशि, वार्षिक लायसेंस फीस की राशि, वार्षिक मूल्य, निर्धारित वार्षिक लायसेंस फीस के 1 / 12वें भाग के बराबर धनराशि एवं वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर देय ड्यूटी राशि के 1 / 12वें भाग के बराबर प्रतिभूति (सिक्यूरिटी डिपाजिट) की धनराशि एवं एक माह की अग्रिम लायसेंस फीस की राशि व समूह के लिए निर्धारित प्रोसेस फीस आदि की जानकारी समस्त कलेक्टर / सहायक आयुक्त आबकारी / जिला आबकारी अधिकारी / अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) / तहसीलदार / नगर निगम / नगर पालिका एवं इसके अतिरिक्त उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता एवं छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड के कार्यालयों के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जावेगी।

(4.2) आवेदनकर्ता वर्ष 2011–12 के लिए देशी / विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों / समूहों के आबंटन के लिए आवेदन पत्र व शपथ पत्र के प्रारूप तथा अशिक्षित / अर्द्ध शिक्षित आवेदक हेतु जन्म तिथि के लिए मजिस्ट्रेट / नोटरी के समक्ष दिये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप **"परिशिष्ट–एक"** जो इस विज्ञप्ति के साथ भी प्रकाशित किए जा रहे हैं, सम्बन्धित सहायक आयुक्त आबकारी / जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर सकेंगे तथा आवेदन पत्र व शपथ पत्र तथा अशिक्षित / अर्द्ध शिक्षित आवेदक हेतु जन्म तिथि के लिए मजिस्ट्रेट / नोटरी के समक्ष दिये जाने वाले शपथ पत्र "परिशिष्ट–एक" के निर्धारित प्रारूपों पर ही किसी–भी आवेदनकर्ता के द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार आवेदन पत्र / शपथ पत्र **टंकित / मुद्रित** कराकर, सम्बन्धित जिले की देशी / विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान / समूहों के लिए आवेदन किया जा सकेगा। **प्रत्येक समूह के लिए पृथक–पृथक आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जायेंगे**। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में पासपोर्ट साईज का फोटोग्राफ अथवा आवेदन पत्र में स्कैन की गई फोटो लगाई जा सकती है, जो किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित होना अनिवार्य होगा।

(4.3) किसी भी इच्छुक आवेदनकर्ता के द्वारा वर्ष 2011–12 के लिए देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों/समूहों के आबंटन हेतु आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किए गए आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र के प्रारूप पर प्रदेश के जिलों के लिए निर्धारित तिथि एवं समय तक संबंधित जिलों में आवेदन किया जा सकता है। आवेदनकर्ता को आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित **अभिलेख** संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा स्थिति में आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जावेगा :–

(i) **आयु के प्रमाण के लिए** – म्यूनिसिपल अथॉरिटी या रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु जिला कार्यालय द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र या अंतिम स्कूल से जारी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र या अशिक्षित/अर्द्धशिक्षित आवेदक द्वारा जन्म तिथि के लिए मजिस्ट्रेट/नोटरी के समक्ष संलग्न **अनुलग्नक–I** में दिया गया शपथ पत्र या पेनकार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, **इनमें से किसी एक प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि** संलग्न होना अनिवार्य है।

(ii) **स्थायी निवास के प्रमाण के लिए** – मतदाता परिचय पत्र, पासपोर्ट, राशन कार्ड, आयकर निर्धारण आदेश, ड्राईविंग लायसेंस, संबंधित राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, जल, टेलीफोन, बिजली बिल, बैंक का जीवित खाता स्टेटमेंट, **इनमें से किसी एक प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि** संलग्न होना अनिवार्य है।

(5) **आवेदकों के लिए पात्रता की शर्तें** :–

(5.1) वर्ष 2011–12 के लिए देशी/विदेशी मदिरा की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस की पात्रता के लिए आवेदकों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी :–

(5.1.1) भारत का नागरिक हो।

(5.1.2) 21 वर्ष से अधिक आयु हो।

(5.1.3) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 एवं उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के प्रावधानों के अधीन राज्य में आबकारी लायसेंस धारण करने से वर्जित न किया गया हो एवं बकायादार/काली सूची में सम्मिलित न हो। इन नियमों के नियम 13 के अधीन व्यतिक्रमी सूची में भी सम्मिलित न हो। इसी प्रकार किसी अन्य राज्यों के तत्संबंधी प्रावधानों में भी आबकारी लायसेंस धारण करने से वर्जित न किया गया हो एवं बकायादार/काली सूची में सम्मिलित न हो। अन्य राज्यों के संबंध में आवेदक, देश के जिन–जिन राज्यों में लायसेंसी रहा है, उन राज्यों से बकायादार/काली सूची में सम्मिलित व्यक्ति नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र लायसेंस जारी होने के **60 (साठ)** दिनों के भीतर लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। यदि इस अवधि में आवेदक द्वारा अपेक्षित प्रमाण पत्र लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो लायसेंसिंग प्राधिकारी लायसेंस निरस्त कर सकेगा।

(5.1.4) आवेदक को दुकान/समूह आबंटित होने पर आपत्तिरहित स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त स्थान रखता हो या किराये पर लेने की व्यवस्था कर सकता हो।

(5.1.5) आवेदक का नैतिक चरित्र अच्छा हो, और उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि न हो तथा उसको आबकारी अधिनियम, 1915 या स्वापक औषधि और मनःप्रभावी अधिनियम, 1985 या किसी अन्य संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध में दण्डित न किया गया हो।

(5.1.6) आवेदनकर्ता के अनुज्ञप्तिधारी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में जिला, जहाँ का वह मूल निवासी है एवं **विगत 10 वर्षों में** वह जहाँ–जहाँ निवास करता रहा हो, के पुलिस अधीक्षकों द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र लायसेंस जारी होने के **60 (साठ)** दिनों के भीतर प्रस्तुत करना होगा कि, उसका चरित्र अच्छा है एवं उसकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि या अपराधिक इतिहास नहीं है।

(5.1.7) आवेदक के अनुज्ञप्तिधारी के रूप में चयनित होने पर वह किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि होगी या जो किसी संक्रामक या छुआछूत रोग से ग्रसित होगा या 21 वर्ष से कम आयु का होगा या महिला होगी।

(5.1.8) आवेदनकर्ता के ऊपर कोई सरकारी देय न हो।

(5.1.9) आवेदक आयकर विभाग द्वारा आवंटित स्थायी लेखा संख्या (Permanent Account Number) धारित करता हो।

(5.2) इस कंडिका के खण्ड (5.1) के उप–खण्ड (5.1.1) से (5.1.9) तक की शर्तों के प्रमाण स्वरूप आवेदनकर्ता आवेदन पत्र के साथ–ही विहित प्रारूप में पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा तथा पैन कार्ड एवं आवेदन पत्र में उल्लेखित अन्य प्रमाण पत्रों की राजपत्रित अधिकारी अथवा पब्लिक नोटरी से प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा।

स्पष्टीकरण :– शपथ पत्र स्टाम्प पेपर पर अथवा कोर्ट फीस टिकिट/एडहेसिव टिकिट का उपयोग कर अथवा फ्रैंकिंग विधि से तैयार किया जा सकता है।

(5.3) चयन प्रक्रिया के दौरान या बाद में जिला स्तरीय समिति कभी–भी आवेदक को नियम एवं शर्तों के पालन की पुष्टि हेतु समक्ष में उपस्थित होने को आदेशित कर सकती है या अन्य कोई प्रमाण/अभिलेख मांग सकती है, जिसे प्रस्तुत करना आवेदक का उत्तरदायित्व होगा, अन्यथा स्थिति में उसका चयन निरस्त किया जा सकता है अथवा ठेकावधि के दौरान लायसेंस निलंबन/निरस्तीकरण की कार्यवाही अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा की जा सकती है।

(6) **चयन के लिए जिला स्तरीय समिति :–**

वर्ष 2011–12 के लिए देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों/समूहों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों में से आवेदनकर्ता/अनुज्ञप्तिधारी के चयन हेतु प्रदेश के प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :–

(एक)	जिले का कलेक्टर	अध्यक्ष
(दो)	जिले का सहायक आयुक्त आबकारी/ जिला आबकारी अधिकारी/	सदस्य सचिव

(7) **अनुज्ञप्तिधारी का चयन :–**

(7.1) वर्ष 2011–12 के लिए देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के समूह/समूहों के लिये प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों को सूचीबद्ध करने तथा [illegible] जांच करने के उपरांत, चयन के लिए पात्र पाये गये आवेदकों की सूची समिति के सदस्य सचिव द्वारा तैयार की जाकर, चयन करने के पूर्व, सभी आवेदकों के अवलोकन के लिए कलेक्टर/सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जावेगी।

(7.2) समिति द्वारा पात्र पाये गये आवेदकों की सूची में से अनुज्ञप्तिधारियों का चयन किया जावेगा। यदि किसी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के समूह/समूहों के लिये एक से अधिक आवेदक पात्र पाए जाते हैं, तो समिति ऐसी दुकानों के समूह/समूहों के लिए अनुज्ञप्तिधारी का चयन राज्य शासन द्वारा विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत कम्प्यूटर द्वारा सार्वजनिक लॉटरी से करेगी, जिसमें तीन ओवदकों का चयन क्रमंशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय के रूप में किया जावेगा।

(7.3) यदि प्रथम चयनित आवेदक द्वारा चयन की सूचना के तीन दिवस के भीतर वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर देय ड्यूटी राशि का 1/12वाँ भाग प्रतिभूति धनराशि अग्रिम रूप में जमा नहीं की जाती है अथवा अन्य किसी कारण से उसका चयन निरस्त हो जाता है, तो चयन सूची के दूसरे क्रम के आवेदक को संबंधित देशी/विदेशी मदिरा दुकानों की फुटकर दुकानों के समूह का आबंटन किया जा सकता है।

(7.4) यदि दूसरे क्रम के आवेदक द्वारा भी अपने चयन की सूचना के तीन दिवस के भीतर वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर देय ड्यूटी राशि का 1/12वाँ भाग प्रतिभूति धनराशि अग्रिम रूप में जमा नहीं की जाती है, अथवा अन्य किसी कारण से उसका भी चयन निरस्त हो जाता है, तो चयन सूची के तीसरे क्रम के आवेदक को संबंधित देशी/विदेशी मदिरा दुकानों की फुटकर दुकानों के समूह का आबंटन किया जा सकता है।

(7.5) यदि प्रथम अथवा व्दितीय अथवा तृतीय चयनित आवेदक द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन निगम, 2002 के नियम 13 के अनुसार निर्धारित अवधि में अपेक्षित धनराशि जमा नहीं की जाती है और विहित औपचारिकताएं पूरी नहीं की जाती हैं या दुकान/दुकानों के समूह हेतु उपयुक्त परिसर की व्यवस्था करने में अक्षम रहता है तो, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा संबंधित देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के समूह का आबंटन को निरस्त कर दिया जावेगा तथा दुकानों के समूह के पुर्नव्यवस्थापन हेतु, आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(7.6) देशी/विदेशी मदिरा दुकान/दुकानों के समूहों को आवेदन प्रणाली में आबंटन की कार्यवाही यदि किसी कारण वश नियत तिथि को पूरी नहीं होती है तो आबंटन हेतु शेष रही दुकानों/समूहों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की कार्यवाही संबंधित जिला के कलेक्टर द्वारा अन्य घोषित किसी भी दिन की जा सकेगी, जिसके लिए संबंधित जिला के कलेक्टर द्वारा संक्षिप्त विज्ञप्ति का प्रकाशन किया जावेगा।

(7.7) यदि वर्ष 2011–12 के लिए किसी विशिष्ट दुकानों के समूह के लिए कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होगा या दुकानों के समूह के लिए कोई अभ्यर्थी पात्र नहीं पाया जाएगा तो अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2002 के नियम 8 में दी गई प्रक्रिया अनुसार दुकानों के पुर्नव्यवस्थापन हेतु तत्काल कार्यवाही की जावेगी।

(7.8) जिला स्तरीय समिति/अनुज्ञापन प्राधिकारी को अधिकार होगा कि, वह किसी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान/दुकानों के समूह हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों को बिना कारण बताए नामंजूर कर दें, जिसके लिए आवेदनकर्ता को कारण बताना आवश्यक नहीं होगा और न ही इस संबंध में आवेदनकर्ता की कोई आपत्ति ग्राह्य योग्य होगी।

(7.9) वर्ष 2011–12 के लिए जिस आवेदनकर्ता को देशी मदिरा दुकान/दुकानों के लिए सी.एस.2घ एवं विदेशी मदिरा दुकान/दुकानों के लिए एफ.एल.1घ में अनुज्ञप्ति मंजूर की जावेगी, वह छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2002 के नियम 3 (ख) के अधीन जारी अनुज्ञप्ति के निर्बन्धन तथा शर्तों से आबद्ध रहेगा।

(8) **कम्प्यूटर द्वारा लॉटरी निकालने की प्रक्रिया** :–

(8.1) वर्ष 2011–12 के लिए देशी/विदेशी मदिरा दुकान/समूहों के लिए अनुज्ञापी का चयन करने हेतु कम्प्यूटर के माध्यम से लॉटरी निकालने के लिए सर्वप्रथम जिले का कोड क्रमांक, जो प्रथम दो अंकों का होगा, इसके बाद समूह का अनुक्रमांक, जो व्दितीय दो अंकों का होगा एवं तत्पश्चात् आवेदन क्रमांक, जो तृतीय चार अंकों का होगा, अंकित रहेगा। छत्तीसगढ़ राज्य के जिलों को उनके जिले के नाम के समक्ष दर्शाए अनुसार कोड क्रमांक निम्नानुसार आबंटन किया गया है :–

क्रमांक	जिले का नाम	आबंटित कोड नम्बर
1.	रायपुर	01
2.	दुर्ग	02
3.	राजनांदगांव	03
4.	धमतरी	04
5.	महासमुंद	05
6.	कबीरधाम	06
7.	बस्तर	07
8.	नारायणपुर	08
9.	उ.ब.कॉकेर	09
10.	द.ब.दन्तेवाड़ा	10
11.	बीजापुर	11
12.	बिलासपुर	12
13.	कोरबा	13
14.	जांजगीर–चॉपा	14
15.	रायगढ़	15
16.	जशपुर	16
17.	सरगुजा	17
18.	कोरिया	18

(8.2) आवेदकों द्वारा दिए जाने वाले आवेदनों के लिए जिला आबकारी कार्यालय में समूहवार पंजी संधारित की जावेगी, जिसमें समूहवार संधारित पंजी में प्राप्त आवेदन पत्र पर पहले जिले का कोड क्रमांक, तत्पश्चात समूह का अनुक्रमांक फिर प्राप्त आवेदन पत्र का क्रमांक क्रमशः अंकित किया जाकर, आवेदन पत्र के ऊपर दर्शित किया जावेगा।

(8.3) आवेदकों के द्वारा आवेदन किये जाने पर उनके आवेदन पत्र के लिए, जो प्राप्ति अभिस्वीकृति दी जावेगी, उस प्राप्ति अभिस्वीकृति में जिले का कोड क्रमांक, समूह का अनुक्रमांक एवं आवेदन पत्र का क्रमांक (पंजी में जिस नम्बर में पंजीयन किया जावेगा), जो उस समूह/आवेदक के लिए सम्पूर्ण कोड क्रमांक कहलायेगा, अंकित किया जाकर, प्राप्ति अभिस्वीकृति दी जावेगी।

(8.4) जिन समूहों के लिए एक ही आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, उन समूहों को सर्वप्रथम चयन के लिए घोषित किया जावेगा, तत्पश्चात् जिन समूहों के लिए एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, उन समूहों के लिए **बढ़ते क्रम से** प्राप्त आवेदन पत्र अनुसार समूहों के चयन की प्रक्रिया अपनाई जावेगी, अर्थात् जिन समूह में कम आवेदन पत्र रहेंगे, उन समूहों को पहले, इसी प्रकार बढ़ते क्रम के आवेदनों की संख्या के अनुसार समूहों के चयन की कार्यवाही की जावेगी।

(8.5) प्रदेश के किसी भी जिले में लॉटरी निकालने की नियत तिथि के पूर्व समस्त प्राप्त आवेदनों की सूची कलेक्टर/जिला आबकारी कार्यालय के सूचना पटल पर सभी आवेदकों के अवलोकन के लिए प्रदर्शित की जावेगी, जिसमें भी उपरोक्तानुसार कोड नम्बरों की जानकारी अंकित रहेगी।

(8.6) लॉटरी निकालने के दिवस को लॉटरी द्वारा चयन प्रक्रिया के स्थल पर केवल उन्हीं आवेदकों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि को प्रवेश दिया जावेगा, जिनके पास संबंधित समूह के लिए किए गए आवेदन पत्र की विधिवत् प्राप्ति अभिस्वीकृति होगी।

(8.7) इस विज्ञप्ति की कंडिका (2) की उप–कंडिका (2.2) के अनुसार एक आवेदक/फर्म/कम्पनी को किसी भी जिले में केवल दो समूह की देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का आबंटन किया जावेगा। अतः इसके लिए यह आवश्यक है कि, सबसे पहले जिन समूहों में कम आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, पहले उन समूहों के चयन की कार्रवाई की जावे, ताकि पहले घोषित समूहों में यदि किसी आवेदक को दो समूह आबंटित हो जाते हैं, तो अगले समूह के चयन की प्रक्रिया में उसका चयन होने पर विचार करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होगा तथा अगले क्रम पर आने वाले आवेदक से प्रथम, व्दितीय, तृतीय आवेदक का चयन किया जावेगा।

(8.8) कम्प्यूटर के माध्यम से लॉटरी निकालने में नम्बरों का प्रयोग करते समय सर्वप्रथम जिले का कोड क्रमांक, जो प्रथम दो अंकों का होगा, इसके बाद समूह का अनुक्रमांक, जो व्दितीय दो अंकों का होगा एवं तत्पश्चात् आवेदन क्रमांक, जो तृतीय चार अंकों का होगा, अंकित किया जाकर, लॉटरी निकालने की प्रक्रिया अपनाई जावेगी।

(8.9) प्रदेश के समस्त जिलों के कलेक्ट्रेट परिसर, जहाँ पर सार्वजनिक लॉटरी द्वारा चयन करने की निर्धारित तिथि एवं समय में कम्प्यूटर के माध्यम से लॉटरी निकाली जावेगी; वहाँ कम्प्यूटर से लॉटरी निकालने की प्रक्रिया को सभी आवेदकों की सहूलियत के लिए बड़े परदे पर दिखाया जावेगा।

(8.10) चयन के दिन कम्प्यूटर द्वारा लॉटरी का वास्तविक ड्रा निकालने के पूर्व आवेदकों को ड्रा निकालने संबंधी प्रक्रिया की जानकारी दी जावेगी एवं उनके समक्ष छद्‌म ड्रा (माक डिमास्ट्रेशन), जितनी बार आवश्यक होगा जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जावेगा, किन्तु कम से कम **तीन बार** अवश्य कराया जावेगा, ताकि कोई भी आवेदनकर्ता संशय की स्थिति में न रहे।

(9) **<u>देशी/विदेशी मदिरा दुकान/समूह के लिए अग्रिम धन जमा करना</u>** :–

(9.1) वर्ष 2011–12 के लिए देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के समूह के लिए चयनित आवेदक को संबंधित समूह की देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के लिए वार्षिक निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर देय ड्यूटी राशि के 1/12वें भाग के बराबर धनराशि प्रतिभूति के रूप में अपने चयन की सूचना के 3 दिवस के भीतर तथा वार्षिक निर्धारित लायसेंस फीस के अनुसार प्रथम माह की लायसेंस फीस दिनांक 27 मार्च, 2011 तक अग्रिम रुप में जमा करना अनिवार्य होगा तथा उक्त अग्रिम धनराशियाँ जमा होने पर ही अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा संबंधित आवेदक को देशी/विदेशी मदिरा दुकान/दुकानों के लायसेंस जारी किये जायेंगे।

(9.2) वर्ष 2011–12 के लिए चयनित आवेदक/अनुज्ञप्तिधारी को उक्त राशियों के अतिरिक्त देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान/दुकानों के समूह के लिए निर्धारित वार्षिक लायसेंस फीस के 1/12वें भाग के बराबर धनराशि नगद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा शैड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बैंक गारंटी के रूप में 30 अप्रैल, 2011 तक जमा करना अनिवार्य होगा।

(10) **<u>लायसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि का भुगतान</u>** :–

वर्ष 2011–12 के लिए प्रदेश के जिलों में स्थित देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों/समूहों के लिए आवेदक का अनुज्ञप्तिधारी के रूप में चयन होने पर, वह अपने चयन की सूचना से तीन दिवस के भीतर वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर देय ड्यूटी के 1/12 वें भाग के बराबर प्रतिभूति धनराशि तथा प्रथम माह की लायसेंस फीस दिनांक 27 मार्च, 2011 तक अग्रिम रूप में जमा करेगा। यदि वह विहित कालावधि में प्रतिभूति धनराशि व प्रथम माह की लायसेंस फीस जमा करने में असफल रहता है, तो उसका चयन निरस्त हो जाएगा और उक्त अनुज्ञप्तिधारी को राज्य में कहीं भी कोई आबकारी लायसेंस धारण करने से भविष्य में वर्जित कर दिया जायेगा।

(11) **<u>मदिरा का उठान</u>** :–

(11.1) छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2002 के अधीन देशी मदिरा का अनुज्ञप्तिधारी देशी मदिरा का प्रदाय निर्धारित ड्यूटी चुकाकर संबंधित भण्डारण भांडागार से तथा विदेशी मदिरा का अनुज्ञप्तिधारक विदेशी मदिरा का प्रदाय निर्धारित ड्यूटी

का भुगतान शासकीय कोष में कर, छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड से विदेशी मदिरा की कीमत का भुगतान कर प्राप्त करेगा। अनुज्ञप्तिधारी को देशी/विदेशी मदिरा का प्रदाय प्राप्त करने हेतु मांगपत्र पर्याप्त समय पूर्व संबंधित प्रदाय स्थलों पर प्रस्तुत करना होगा।

(11.2) अनुज्ञप्तिधारी को उप–कंडिका (11.1) में दर्शित अनुसार देशी मदिरा का प्रदाय संबंधित भण्डारण भांडागार से अथवा विदेशी मदिरा का प्रदाय छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड के मदिरहसौद गोदाम, रायपुर अथवा लिंगियाडीह गोदाम, बिलासपुर से प्राप्त करने उपरांत परेषण को गंतव्य स्थल/दुकान तक सीधे ले जाना होगा तथा परेषण को परिवहन के दौरान खोला नहीं जाएगा और न ही अन्य स्थल/स्थान पर परिवर्तित किया जाएगा।

(11.3) **(क) दिनांक 01.04.2011 से देशी/विदेशी मदिरा के प्रदाय पर ड्यूटी की दरें नीचे सारणी में दर्शाये अनुसार होंगी :–**

सारणी

क्र.		मदिरा का प्रकार	निर्धारित ड्यूटी दर
1		2	3
(1)		**देशी मदिरा** :– मसाला 25.0 यू.पी. प्लेन 50.0 यू.पी. रासी 60.0 यू.पी.	रुपये 54/– प्रति प्रूफ लीटर
(2)		**विदेशी मदिरा– (स्प्रिट)** :– एक्स फैक्ट्री प्राईस प्रति पेटी अर्थात् 12 क्वार्ट बोतल	
	1.	रुपये 600/– तक	रुपये 70/– प्रति प्रूफ लीटर
	2.	रुपये 601/–से 900/– तक	रुपये 90/– प्रति प्रूफ लीटर
	3.	रुपये 901/– और उससे अधिक	रुपये 110/– प्रति प्रूफ लीटर
(3)		**माल्ट मदिरा (बीयर)** :–	रुपये 20/– प्रति बल्क लीटर
(4)	(क)	विदेशी मदिरा (स्प्रिट) :– सेना तथा अर्द्धसैनिक बलों/उनकी संस्थाओं/क्लबों के लिए	रुपये 30/– प्रति प्रूफ लीटर
	(ख)	माल्ट लिकर (बीयर)	रुपये 8/– प्रति बल्क लीटर

स्पष्टीकरण :– 1. विदेशी मदिरा (स्प्रिट) में सम्मिलित है, व्हिस्की, ब्राण्डी, रम, जिन, वाईन, लिकर्स, कार्डियल्स, बिटर्स, मिक्चर्स तथा अन्य निर्मितियाँ, जो स्प्रिरिट युक्त हों।

2. माल्ट मदिरा में सम्मिलित है, बीयर, स्टाउट, एल, पोर्टर, साईडर इत्यादि।

(ख) आबकारी कर योग्य वस्तुओं पर शुल्क (डयूटी) पर 10% अधिभार :–

आबकारी शुल्क (ड्यूटी) योग्य वस्तुओं के विहित शुल्क (ड्यूटी) पर 10% अधिभार देय होगा, जिसका अंतरण ग्रामीण तथा नगरीय निकायों को जनसंख्या के अनुपात में दिया जावेगा।

(12) **देशी/विदेशी मदिरा दुकान/समूह हेतु माहवार न्यूनतम उठाव मात्रा का निर्धारण** :–

वर्ष 2011–12 के लिए देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों हेतु न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का माहवार उठाव निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :–

क्रमांक	माह का नाम	माह हेतु निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा	
		देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा (स्प्रिट)	माल्ट मदिरा (बीयर)
1.	2.	3.	4.
1.	अप्रैल	वार्षिक मात्रा का 9%	वार्षिक मात्रा का 15%
2.	मई	वार्षिक मात्रा का 10%	वार्षिक मात्रा का 15%
3.	जून	वार्षिक मात्रा का 9%	वार्षिक मात्रा का 13%
4.	जुलाई	वार्षिक मात्रा का 7%	वार्षिक मात्रा का 6%
5.	अगस्त	वार्षिक मात्रा का 7%	वार्षिक मात्रा का 6%
6.	सितम्बर	वार्षिक मात्रा का 7%	वार्षिक मात्रा का 6%
7.	अक्टूबर	वार्षिक मात्रा का 8%	वार्षिक मात्रा का 6%
8.	नवम्बर	वार्षिक मात्रा का 8%	वार्षिक मात्रा का 5%
9.	दिसम्बर	वार्षिक मात्रा का 9%	वार्षिक मात्रा का 5%
10.	जनवरी	वार्षिक मात्रा का 9%	वार्षिक मात्रा का 6%
11.	फरवरी	वार्षिक मात्रा का 9%	वार्षिक मात्रा का 9%
12.	मार्च	वार्षिक मात्रा का 8%	वार्षिक मात्रा का 8%

(13) **सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा प्रदाय का अनुपात** :–

(13.1) वर्ष 2011–12 के लिए प्रदेश में स्थित देशी मदिरा की फुटकर दुकान/समूहों को भण्डारण भांडागार से देशी मदिरा प्रदाय के लिए देशी मदिरा की काँच की बोतलों में बल्क लीटर में प्रदाय का अनुपात 10:20:70 रहेगा। देशी मदिरा के फुटकर लायसेंसी की मांग पर 375 मि.ली. अद्धी व 750 मि.ली. बोतल के स्थान पर 180 मि.ली. पाव का प्रदाय किया जा सकता है।

(13.2) वर्ष 2011–12 के लिए देशी मदिरा की फुटकर दुकान/समूह के अनुज्ञप्तिधारी को भण्डारण भाण्डागार से देशी मदिरा प्रदाय के समय देशी मदिरा प्रदाय संविदाकार को खाली काँच के बोतल की कीमत व प्रदाय दर (इश्यू प्राईस) की राशि का भुगतान करना अनिवार्य होगा, जिसकी दर निम्नानुसार है :–

क्र.	बोतलों का माप	काँच की बोतल की कीमत	प्रदाय दर
(i)	बोतल 750 मि.ली. के लिए	रु 7.00 प्रति नग	रु. 5.65 प्रति नग
(ii)	अद्धी 375 मि.ली. के लिए	रु 4.25 प्रति नग	रु. 4.25 प्रति नग
(iii)	पाव 180 मि.ली. के लिए	रु 2.50 प्रति नग	रु. 2.45 प्रति नग

(14) **देशी मदिरा की तेजी :–**

वर्ष 2011–12 के लिए देशी मदिरा प्रदाय की तेजी निम्नानुसार निर्धारित है :–

क्रमांक	मदिरा का प्रकार	निर्धारित तेजी
1.	मसाला मदिरा	25.0 यू.पी.
2.	प्लेन मदिरा	50.0 यू.पी.
3.	रासी मदिरा	60.0 यू.पी.

(15) **माह के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का उठान और असफलता के परिणाम :–**

(15.1) अनुज्ञप्तिधारी को माह के दौरान देशी/विदेशी मदिरा दुकान/समूह की दुकानों के लिये निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर निर्धारित दर से देय ड्यूटी की सम्पूर्ण राशि उस माह की 25 तारीख तक संबंधित जिले के कोषालय/उप–कोषालय में जमा कर चालान की मूल प्रति संबंधित जिले के सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिस पर देशी मदिरा अथवा विदेशी मदिरा का प्रदाय माहान्त तक किया जा सकेगा, किन्तु माह के अंतिम कार्य दिवस तक बिना उठाई गई मदिरा की मात्रा को समपहृत कर लिया जायेगा।

(15.2) उक्त उप–खण्ड (15.1) के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारी, मास के दौरान देशी/विदेशी मदिरा दुकान/समूह की दुकानों के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर देय ड्यूटी की सम्पूर्ण राशि उस माह की 25 तारीख तक जिले के कोषालय/उप–कोषालय में जमा करने में असफल रहता है, तो ऐसा अनुज्ञप्तिधारी, उनके विरुद्ध अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली अन्य कार्यवाहियों के साथ–साथ, वह न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा की बकाया ड्यूटी की राशि पर 12% वार्षिक (अर्थात् 1% मासिक) की दर से साधारण ब्याज भुगतान करने के लिए भी दायी होगा।

(15.3) यदि देशी/विदेशी मदिरा की दुकान/समूह की दुकानों का अनुज्ञप्तिधारी उप–खण्ड (15.1) के अनुसार मास के दौरान देशी/विदेशी मदिरा दुकान/समूह की दुकानों के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा की सम्पूर्ण राशि उस माह की 25 तारीख तक शासन कोष में जमा कर चालान की मूल प्रति प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी तत्काल मामले की सूचना अनुज्ञापन प्राधिकारी को देगा, जो नियम 23 के उप नियम (1) के खण्ड (च) के उप खण्ड (एक) के अनुरूप शास्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही करेंगे। अधिरोपित शास्ति के समतुल्य धनराशि व न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा की अवशेष राशि को अनुज्ञप्तिधारी की जमा प्रतिभूति धनराशि से समायोजित करते हुए अनुज्ञप्तिधारी को प्रतिभूति धनराशि में आई कमी को एक सप्ताह के भीतर पूर्ति करने तथा कारण बताने का नोटिस जारी करेंगे कि संबंधित दुकान/समूह की दुकानों की अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्तियाँ क्यों न निरस्त कर दी जाए? यदि अनुज्ञप्तिधारी बताई गई अवधि के भीतर प्रतिभूति धनराशि की पूर्ति करने में असफल रहता है तथा स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उसकी दुकान/समूह की दुकानों की अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्तियाँ निरस्तीकरण

के दायित्वाधीन होंगी। इसके उपरान्त अनुज्ञापन प्राधिकारी दुकान/दुकानों के समूह की दुकानों के पुर्नव्यवस्थापन की आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

( ) अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध अधिरोपित की गई शास्ति के समतुल्य धनराशि व न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा की अवशेष राशि को अनुज्ञप्तिधारी की जमा प्रतिभूति धनराशि से समायोजित किया जावेगा तथा अनुज्ञप्तिधारी को प्रतिभूति धनराशि में आई कमी को एक सप्ताह के भीतर पूरा करना होगा। यदि अनुज्ञप्तिधारी बताई गई अवधि के भीतर प्रतिभूति धनराशि की पूर्ति करने में असफल रहता है तो ऐसे अनुज्ञप्तिधारी के समूह की दुकान/दुकानों की अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्तियाँ अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निरस्त की जा सकेगी तथा ऐसे अनुज्ञप्तिधारी के जोखिम एवं उत्तरदायित्व पर अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा संबंधित समूह की दुकान/दुकानों का पुर्नव्यवस्थापन किया जावेगा तथा इस पुर्नव्यवस्थापन में शासन को जो हानि होगी, उसकी वसूली संबंधित अनुज्ञप्तिधारी से भू-राजस्व की बकाया की भाँति की जावेगी।

(16) **न्यूनतम माहवार प्रत्याभूत मात्रा से अधिक देशी/विदेशी मदिरा का उठान** :-

अनुज्ञप्तिधारी देशी मदिरा अथवा विदेशी मदिरा दुकानों के लिए वर्ष 2011-12 में माहवार निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से अधिक देशी अथवा विदेशी मदिरा का प्रदाय निर्धारित दर पर ड्यूटी का भुगतान कर, प्रदाय प्राप्त कर सकता है।

(17) **न्यूनतम एवं अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य** :-

वर्ष 2011-12 के लिए शासन द्वारा उपभोक्ताओं की सुविधा की दृष्टि से देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम फुटकर विक्रय दर नियत की जावेगी, **जिसमें 5% का अंतर रखा जावेगा**। देशी मदिरा तथा विदेशी मदिरा के शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम फुटकर बिक्री दर देशी मदिरा/विदेशी मदिरा प्रदायकर्ता द्वारा प्रत्येक प्रकार के नामपत्रों (लेबलों) पर अंकित किया जावेगा। अनुज्ञप्तिधारी, निर्धारित किए गए न्यूनतम विक्रय मूल्य से कम एवं निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य उपभोक्ताओं से नहीं लेगा।

(18) **विदेशी मदिरा दुकान में अहाता की सुविधा** :- वर्ष 2011-12 में विदेशी मदिरा एफ.एल.1घ की फुटकर दुकानों को, उसके संलग्न परिसर में उपभोक्ताओं को मदिरा-पान के लिए **नियमानुसार अहाता सुविधा दी जाएगी,** जिसके लिए अनुज्ञप्तिधारी को शासन द्वारा विहित की गई दर से अहाता अनुज्ञप्ति फीस के संदाय पर प्ररूप एफ.एल.1ख (अहाता अनुज्ञप्ति) संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा प्रदत्त की जायेगी।

(18) **शुष्क दिवस** :-

(18.1) वर्ष 2011-12 में प्रदेश में स्थित देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों को निम्नानुसार दिवसों में शासन द्वारा घोषित शुष्क दिवसों के अनुसार बंद रखा जाना अनिवार्य होगा :-

क्रमांक	**शुष्क दिवस**	**संख्या दिवस**
1.	26 जनवरी " गणतंत्र दिवस"	1 दिवस
2.	15 अगस्त "स्वतंत्रता दिवस"	1 दिवस
3.	02 अक्टूबर "गांधी जयंती"	1 दिवस
4.	30 जनवरी "महात्मा गांधी निर्वाण दिवस"	1 दिवस

5.	मोहर्रम	1 दिवस
6.	होली (जिस दिन रंग खेला जाय)	1 दिवस
7.	गुरू घासीदास जयंती	1 दिवस

(18.2) उक्त के अतिरिक्त कलेक्टर को यह भी अधिकार हैं कि, वे वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान किन्हीं भी तीन दिवसों में उनके जिले/क्षेत्र की देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों को बंद करने के आदेश दे सकते है। इसके अतिरिक्त लोकसभा/विधानसभा/स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं, जिसमें ग्राम पंचायत भी सम्मिलित है, के चुनाव/उप–चुनाव के दौरान भारत निर्वाचन आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मदिरा की दुकानों को छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा–24 की उप–धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा लोकहित में बंद किया जावेगा।

(19) **देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के खुलने का समय :–**

छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2002 के नियम 19 सहपठित सी.एस.2घ लायसेंस शर्त क्रमांक 11 एवं एफ.एल.1घ लायसेंस शर्त क्रमांक 17 के अनुसार, देशी मदिरा व विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के खुलने का समय दिनांक 01.04.2011 से प्रातः 10:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक रहेगा।

(20) **देशी मदिरा की उप–दुकान हेतु अनुज्ञप्ति :–**

वर्ष 2011–12 में देशी मदिरा के लिए उप–दुकान स्वीकृत नहीं की जावेगी।

(21) **लायसेंस की समाप्ति पर शेष बचे मदिरा स्कन्ध का निराकरण :–**

(1) वर्ष 2011–12 के अनुज्ञप्तिधारी के लायसेंस अवधि की समाप्ति पर देशी मदिरा के अतिशेष स्टॉक का निराकरण छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के अन्तर्गत निर्मित सामान्य लायसेंस शर्त क्रमांक–25 तथा विदेशी मदिरा के अतिशेष का निराकरण छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 18 के उप नियम (6) के अनुसार किया जावेगा।

(2) अनुज्ञप्तिधारी, लायसेंस अवधि की समाप्ति पर देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा के अतिशेष स्टाक के व्ययन (Disposal) के फलस्वरूप, स्थानांतरित की जाने वाली मदिरा की मात्रा पर तत्समय देय ड्यूटी राशि के 10% (दस प्रतिशत) के बराबर, धनराशि का भुगतान करेगा, जिसका समायोजन आगामी वर्ष की ड्यूटी राशि/लायसेंस फीस में नहीं किया जावेगा तथा स्थानांतरित की जाने वाली मदिरा की मात्रा का भी समायोजन आगामी वर्ष हेतु निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में नहीं किया जावेगा।

(22) **प्रतिभूति धनराशि का समायोजन/वापसी :–**

वर्ष 2011–12 के लिए आवेदन प्रणाली में व्यवस्थापित की गई देशी/विदेशी मदिरा दुकानों/समूहों के लिए राज्य शासन को देय लायसेंस फीस/ड्यूटी/शास्ति की राशि या अन्य बकाया राशियों के निस्तारण हेतु आवश्यकता होने पर, ऐसी समस्त बकाया राशियाँ अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर निर्धारित दर से देय ड्यूटी राशि के 1/12वें भाग के बराबर जमा की गई प्रतिभूति धनराशि से समायोजन योग्य होगी। राज्य

शासन के समस्त दावों एवं देयों के अंतिम निस्तारण के पश्चात् जमा प्रतिभूति धनराशि अथवा समायोजन के पश्चात् शेष बची राशि अनुज्ञप्तिधारी को वापस किए जाने योग्य होगी।

(23) **लायसेंस का अभ्यर्पण** :–

अनुज्ञप्तिधारी, अधिनियम की धारा 33 के उपबन्धों के अधीन अपने लायसेंस का अभ्यर्पण अनुज्ञापन प्राधिकारी को कम से कम एक मास की लिखित नोटिस देकर कर सकता है। ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर अनुज्ञापन प्राधिकारी अधिनियम की धारा 33 के अनुसार कार्यवाही करेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी आबकारी वर्ष की शेष अवधि के लिए दुकान के पुर्नव्यवस्थापन की कार्यवाही भी आरंभ करेगा।

(24) **लायसेंस का निलम्बन और निरस्तीकरण** :–

(24.1) अनुज्ञापन प्राधिकारी लायसेंस को निलंबित या निरस्त कर सकता है :–

(24.1.1) यदि अनुज्ञप्त परिसर में कोई ऐसी मदिरा बोतल पाई जाती है, जिस पर शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है और जिस पर आबकारी आयुक्त द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में प्रतिभूति होलोग्राम नहीं लगाया गया है,

(24.1.2) यदि अनुज्ञापन परिसर में किसी अन्य प्रकार की मदिरा या मादक औषधि (जिसके लिए लायसेंस मंजूर नहीं किया गया है) पाई जाती है,

(24.1.3) यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियम–8 के खण्ड (ग) के अंतर्गत शपथ पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है और उसमें किया गया कथन असत्य पाया जाता है,

(24.1.4) यदि अनुज्ञप्तिधारी, अधिनियम या किसी संज्ञेय और गैर–जमानती अपराध से या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 482 से 489 के अधीन अपराध से दोषसिद्ध पाया जाता है,

(24.1.5) यदि कोई मदिरा की बोतल नियम 17 के अधीन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम फुटकर बिक्री मूल्य से कम मूल्य पर अथवा निर्धारित अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य से अधिक मूल्य पर बेची जाती है,

(24.1.6) यदि देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान/समूह का अनुज्ञप्तिधारी किसी माह के लिये निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा की सम्पूर्ण राशि उस माह की 25 तारीख तक संबंधित जिले के कोषालय/उप–कोषालय में जमा कराकर चालान की मूल प्रति संबंधित जिले के जिला कार्यालय में प्रस्तुत करने में विफल रहता है तथा ऐसी कम पटाई गई राशि की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर निर्धारित दर से अधिरोपित शास्ति नियत अवधि में जमा करने में विफल रहता है,

(24.1.7) यदि अनुज्ञप्तिधारी इस विज्ञप्ति की कंडिका (24.1.6) के अनुसार अधिरोपित शास्ति के पश्चात् भी माहवार निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा की सम्पूर्ण राशि जमा करने में असफल रहता है तथा विहित कालावधि के भीतर प्रतिभूति राशि में आयी कमी को पूरा करने में भी असफल रहता है,

(24.1.8) यदि अनुज्ञप्तिधारी किसी माह के लिए निर्धारित मासिक लायसेंस फीस की सम्पूर्ण राशि, उस माह की 10 तारीख तक संबंधित जिले के कोषालय/उप-कोषालय में जमा कराकर चालान की मूल प्रति संबंधित जिले के जिला कार्यालय में प्रस्तुत करने में विफल रहता है।

(24.2) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 31 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत अनुज्ञापन प्राधिकारी ऊपर उल्लेखित आधार पर अनुज्ञप्ति को तत्काल निलंबित अथवा निरस्त करने की कार्यवाही करेगा, जिसमें अनुज्ञप्तिधारी को उसकी अनुज्ञप्ति को निलंबित या निरस्त करने तथा उसकी जमा प्रतिभूति धन राशि को राजसात भी किया जा सकेगा।

(24.3) अनुज्ञप्तिधारी, इस नियम के अधीन लायसेंस के निलम्बन या निरस्तीकरण के लिए किसी प्रतिकर या वापसी के लिए दावा करने का हकदार नहीं होगा।

(24.4) ऊपर लिखित आधार पर लायसेंस निरस्त किए जाने के मामले में अनुज्ञप्तिधारी को कालीसूची में भी डाला जायेगा तथा भविष्य में कोई आबकारी लायसेंस धारण करने से वर्जित किया जायेगा।

8/ **<u>मद्य निषेद्य नीति तथा प्राकृतिक विपत्तियों के फलस्वरूप मदिरा दुकान बंद करना</u>** :-

वित्तीय वर्ष 2011-12 में छत्तीसगढ़ राज्य में अथवा किसी पड़ोसी राज्य में मद्य निषेध की नीति के फलस्वरूप या अन्य कोई भी कारणों से यदि कोई दुकान/समूह की दुकानें बंद की जाती हैं, तो इसके कारण अनुज्ञप्तिधारी को शासन द्वारा कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी। इसी प्रकार यदि पड़ोसी राज्य में मद्य निषेध के कारण अथवा किसी अन्य कारण से राज्य की किसी दुकान/समूह की दुकानों के पुनर्आबंटन करने का निर्णय लिया जाता है अथवा वर्ष 2011-12 के दौरान यदि शासन कोई नवीन दुकान खोलना आवश्यक समझेगा तो वैसा करने का अधिकार आबकारी आयुक्त को होगा तथा उस पर किसी अनुज्ञप्तिधारी की आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी, और न ही किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति अथवा छूट किसी भी आपत्तिकर्ता को देय होगी। यदि देशी/विदेशी मदिरा दुकान/समूह के व्यवस्थापन की अवधि के दौरान अनुज्ञप्तिधारी को किसी दैवीय विपत्ति या प्राकृतिक प्रकोप अथवा सामाजिक उपद्रवों, आंदोलनों, कानून व्यवस्था आदि सम्बन्धी समस्याओं के फलस्वरूप किसी प्रकार की कोई क्षति होती है तो अनुज्ञप्तिधारी को किसी भी तरह की क्षतिपूर्ति की पात्रता शासन द्वारा नहीं होगी।

9/ वर्ष 2011-12 की ठेकावधि में यदि केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा किसी अधिनियम अथवा नियम के अन्तर्गत मादक द्रव्यों पर कोई कर लगाया जावेगा, तो अनुज्ञप्तिधारी इस बाबत् लायसेंस फीस में किसी छूट अथवा क्षतिपूर्ति पाने का हकदार नहीं होगा, और इस संबंध में उसकी कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

10/ वर्ष 2011–12 के लिए देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानो का ... प्रणाली में आबंटन एवं संचालन छत्तीसगढ आबकारी अधिनियम, 1915 व उसके अधीन निर्मित नियमों एवं छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2002 यथा संशोधित, निर्धारित शर्तों एवं निर्बन्धनों तथा राज्य शासन/आबकारी आयुक्त/कलेक्टर/सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी के द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों के अनुसार शासित होंगे।

संलग्न :– 1. आवेदन पत्र का प्रारूप

2. अशिक्षित/अर्द्धशिक्षित के लिए जन्म तिथि के शपथ पत्र का प्रारूप

3. शपथ पत्र का प्रारूप

(जी.एस.मिश्रा)
आबकारी आयुक्त,
छत्तीसगढ़,

आवेदन पत्र

(कृपया नियम 8 देखें)

आवेदित समूह के लिए प्रोसेस फीस की निर्धारित राशि :- **रुपये 4000/-**

आवेदक का पासपोर्ट साईज का फोटोग्राफ अथवा आवेदन में स्कैन की गई फोटो, जो किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित हो

आवेदन क्रमांक | | | | | | | | |

वर्ष 2011-12 के लिए जिला..............की देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के समूह.......................(समूह का क्रमांक एवं नाम) के लायसेंस हेतु आवेदन-पत्र

1. आवेदक/आवेदिका का नाम :- ....

2. पिता/पति का नाम :- ....

3. आयु (वर्ष में) :- (अंकों में) .... (शब्दों में)........................

आयु के प्रमाण के लिए –

म्यूनिसिपल अथॉरिटी या रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु जिला कार्यालय द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र या अंतिम स्कूल से जारी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र या अशिक्षित/अर्द्धशिक्षित आवेदक द्वारा जन्म तिथि के लिए मजिस्ट्रेट/नोटरी के समक्ष संलग्न परिशिष्ट-एक में दिया गया शपथ पत्र या पेनकार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस

(इनमें से किसी एक प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें)

4. पता (अ) स्थायी निवास का पता :- ....

....

....

स्थायी निवास के प्रमाण के लिए –

मतदाता परिचय पत्र, पासपोर्ट, राशन कार्ड, आयकर निर्धारण आदेश, ड्राईविंग लायसेंस, संबंधित राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, जल, टेलीफोन, बिजली बिल, बैंक का जीवित खाता स्टेटमेंट

(इनमें से किसी एक प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें)

(ब) पत्र व्यवहार हेतु पता :- ....

....

....

(स) विगत 10 वर्षों में निवास करने संबंधी जानकारी निम्नानुसार है :—

अवधि (कब से कब तक)	कुल अवधि (वर्ष / माह)	निवास करने का पूर्ण पता

5. आवेदक का आयकर विभाग का पेन नंबर (Permanent Account Number) :— ....

(पेन कार्ड की राजपत्रित अधिकारी अथवा पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें)

6 देशी / विदेशी मदिरा समूह का क्रमांक एवं नाम :— ....

(6.1) वार्षिक निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा : (अ) देशी मदिरा (प्रूफ लीटर में)..........................

(ब) विदेशी मदिरा —स्प्रिट (प्रूफ लीटर में)..........................

(स) विदेशी मदिरा —माल्ट (बल्क लीटर में)..........................

(6.2) निर्धारित ड्यूटी राशि : (अ) देशी मदिरा (रुपये में) ....

(ब) विदेशी मदिरा —स्प्रिट (रुपये में)..........................

(स) विदेशी मदिरा —माल्ट (रुपये में)..........................

7. दुकान / समूह की निर्धारित वार्षिक लायसेंस फीस (रुपये में) :— ....

8. दुकान / समूह की निर्धारित वार्षिक प्रत्याभूत मात्रा पर ड्यूटी की राशि (रुपये में) :— ....

9. दुकान / समूह का कुल निर्धारित वार्षिक राजस्व (रुपये में) :— ....

10. दुकान / समूह के लिए निर्धारित वार्षिक लायसेंस फीस का 1 / 12वें भाग की धनराशि (रुपये में) :— ....

11. दुकान / समूह के लिए निर्धारित वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर देय ड्यूटी राशि का 1 / 12वां भाग प्रतिभूति धनराशि (रुपये में) :— ....

12. प्रोसेस फीस की राशि जमा का विवरण :–

(अ) निर्धारित प्रोसेस फीस की राशि (रुपये में) :– ....

(ब) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक के कैश आर्डर का क्रमांक अथवा नगद राशि जमा का बैंक चालान क्रमांक :– ....

(स) दिनांक :– ....

(द) बैंक का नाम :– ....

स्थान :–
दिनांक :– आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर

उपरोक्त विवरण मेरी/हमारी जानकारी में पूर्णतः सत्य/सही है। यदि उपरोक्त विवरण असत्य या गलत पाया जाये तो, मेरा/हमारा आवेदन पत्र निरस्त करने योग्य होगा। यदि उपरोक्त विवरण लायसेंस जारी करने के उपरान्त असत्य या गलत पाया जाता है तो मेरा/हमारा लायसेंस निरस्त करने के दायित्वाधीन होगा और मेरे/हमारे द्वारा जमा की गई लायसेंस फीस एवं प्रतिभूति की धनराशि भी राजसात करने योग्य होगी, जिसकी मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त मैं/हम इस तथ्य से भिज्ञ हूँ/हैं कि, असत्य या गलत विवरण देना दण्डनीय अपराध भी है तथा मेरे/हमारे विरूद्व दण्डनीय अपराध दर्ज किया जा सकता है।

आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर
एवं दिनांक

संलग्न :–

1. आयु के प्रमाण के लिए .... प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।
2. स्थाई निवास के प्रमाण के लिए .... प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।
3. पेन कार्ड की सत्यापित प्रतिलिपि।
4. प्रोसेस फीस का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/बैंक का कैश आर्डर अथवा बैंक के चालान की मूलप्रति।
5. विहित प्रारूप में आवेदक का पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र।

(आवेदन पत्र प्राप्ति की अभिस्वीकृति)

आवेदन क्रमांक | | | | | | | | |

श्री/श्रीमती/कुमारी ....
पुत्र/पत्नी/पुत्री .... निवासी ....
...............................का वर्ष 2011–12 हेतु देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान/समूह .... (समूह का क्रमांक एवं नाम) के लिए आवेदन पत्र सहपत्रों सहित, प्रोसेस फीस के बैंक ड्रापट/बैंकर्स चेक/बैंक का कैश आर्डर अथवा चालान की मूलप्रति तथा पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ–पत्र प्राप्त किया, जिसे रजिस्टर के सरल क्रमांक...............पर दर्ज किया गया।

दिनांक :–
समय :–

सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी
अथवा प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर
एवं कार्यालय की पदमुद्रा

शपथ पत्र

मैं ....पुत्र / पत्नि / पुत्री ....आयु .... वर्ष, निवासी .... शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि :–

(1) यह कि, शपथकर्ता ने वर्ष .... के लिए जिला .... की देशी / विदेशी. मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के समूह .... (समूह का नाम) तहसील .... के लायसेंस हेतु आवेदन पत्र दिया है।

(2) यह कि, शपथकर्ता भारत का नागरिक है।

(3) यह कि, शपथकर्ता की आयु 21 वर्ष से अधिक है।

(4) यह कि, शपथकर्ता का नाम आबकारी विभाग की बकाया सूची व काली सूची में सम्मिलित नहीं है। व्यवस्थापन नियम, 2002 के नियम 13 के अधीन व्यतिक्रमी सूची में भी आवेदक का नाम सम्मिलित नहीं है तथा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 एवं उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के प्रावधानों के अधीन आबकारी लायसेंस धारण करने से वर्जित नहीं किया गया है एवं किसी भी अन्य राज्यों में तत्संबंधी प्रावधानों के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति धारण करने से वर्जित नहीं किया गया है तथा शपथकर्ता का नाम अन्य राज्यों की बकाया / काली सूची में भी सम्मिलित नहीं है।

(5) यह कि, शपथकर्ता का अनुज्ञप्तिधारी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में शपथकर्ता, देश के जिन–जिन राज्यों में लायसेंसी रहा है, उन राज्यों से बकायादार / काली सूची में सम्मिलित व्यक्ति नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र लायसेंस जारी होने के **60 (साठ)** दिनों के भीतर लायसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। यदि इस अवधि में मेरे द्वारा अपेक्षित प्रमाण पत्र लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो लायसेंसिंग प्राधिकारी लायसेंस निरस्त कर सकेगा।

(6) यह कि, शपथकर्ता को दुकान / समूह आबंटित होने पर वह उस स्थान पर नियमों के अनुसार दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर रखता है या किराये पर लेने की व्यवस्था कर सकता है।

(7) यह कि, शपथपकर्ता का नैतिक चरित्र अच्छा है और उसकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है तथा उसको छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 तथा किसी संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध में दण्डित नहीं किया गया है।

(8) यह कि, शपथकर्ता का अनुज्ञप्तिधारी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में जिला, जहाँ का वह मूल निवासी है एवं **विगत 10 (दस) वर्षों में** वह जहाँ–जहाँ निवास करता रहा है, के पुलिस अधीक्षकों द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र लायसेंस जारी होने के **60 (साठ)** दिनों के भीतर लायसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा कि, उसका चरित्र अच्छा है एवं उसकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि या अपराधिक इतिहास नहीं है। यदि इस अवधि में मेरे द्वारा अपेक्षित प्रमाण पत्र लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो लायसेंसिंग प्राधिकारी लायसेंस निरस्त कर सकेगा।

(9) यह कि, शपथकर्ता के अनुज्ञप्तिधारी के रूप में चयनित होने पर वह किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि होगी या जो किसी संक्रामक या छुआछूत रोग से ग्रसित होगा या 21 वर्ष से कम आयु का होगा या महिला होगी।

(10) यह कि, शपथकर्ता के ऊपर कोई सरकारी देय नहीं है।

(11) यह कि, शपथकर्ता आयकर विभाग द्वारा आबंटित स्थायी लेखा संख्या (Permanent Account Number) धारित करता है, जिसका PAN No...है तथा आबंटित पेन नम्बर के कार्ड की राजपत्रित अधिकारी अथवा पब्लिक नोटरी से सत्यापित प्रतिलिपि आवेदन पत्र के संलग्न प्रस्तुत की गयी है।

(12) यह कि, शपथकर्ता का लायसेंसी के रूप में चयन होने पर, उसके द्वारा अपने चयन की सूचना पाने के 3 (तीन) दिवस के भीतर वह कलेक्टर के पास लायसेंस की शर्तों और निर्बन्धनों के यथोचित पालन के लिए सम्बन्धित देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के समूह के लिए निर्धारित वार्षिक प्रत्याभूत मात्रा पर देय ड्यूटी राशि का 1/12वाँ भाग प्रतिभूति के रूप में, वार्षिक निर्धारित लायसेंस फीस का 1/12वाँ भाग, जो किसी प्रकार की बकाया न रहने की दशा में माह मार्च, 2012 की मासिक अंशिका में समायोजन योग्य होगी तथा माह अप्रैल, 2011 की लायसेंस फीस दिनांक 27 मार्च, 2011 तक अग्रिम के रूप में जमा करने के लिए बाध्य रहेगा।

(13) यह कि, शपथकर्ता ने लायसेंस की शर्तों और निर्बन्धनों को पूरी तरह समझ/पढ़ लिया है, और यदि आवेदित दुकान/समूह उसे आबंटित हो जाता है, तो वह छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 व उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं यथासंशोधित छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2002 तथा लायसेंस की शर्तों और शासन/आबकारी आयुक्त/ कलेक्टर/ सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा समय–समय पर दिये जाने वाले आदेशों/निर्देशों का सम्यक् रूप से पालन करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा।

दिनांक :–

स्थान :–

शपथकर्ता के हस्ताक्षर
तिथि सहित

सत्यापन

मैं ....पुत्र/पत्नि/पुत्री .... उल्लेखित शपथकर्ता, एतद् द्वारा, यह सत्यापित करता/करती हूँ कि, इस शपथ पत्र की कंडिका (1) से (13) तक में अभिलिखित कथन मेरे स्वयं के ज्ञान तथा विश्वास से तथा उपलब्ध जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है तथा इस शपथ पत्र में मैंने न तो कोई तथ्य छिपाये हैं और न ही कोई मिथ्या कथन किया है।

आज दिनांक .... को स्थान .... में पढ़कर, समझकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर सत्यापित किया गया।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर
तिथि सहित

पब्लिक नोटरी का सत्यापन

परिशिष्ट– एक

जन्मतिथि की पुष्टि हेतु आवेदन पत्र में निर्धारित कोई प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने पर अशिक्षित आवेदकों द्वारा दिये जाने वाले शपथ पत्र का नमूना

(गैर अदालती स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाये)

मैं .... पुत्र/पत्नि/पुत्री .... वर्तमान में निवासरत् ....एतद्द्वारा निम्नलिखित कथन करता/करती हूँ :–

मेरा जन्म दिनांक .... को .... प्रदेश के जिला.................. में स्थित ग्राम/तहसील... में हुआ था। जन्मतिथि एवं स्थान के संबंध में मेरे पास कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है।

मैं किसी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता/रखती हूँ एवं अशिक्षित व्यक्ति हूँ।

मैं निष्ठापूर्वक शपथ/पुष्टि करता/करती हूँ कि, मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त विवरण सही है एवं मैंने किसी भी तथ्य को न तो छुपाया है और न ही उसे गलत ढंग से प्रस्तुत किया है।

स्थान : ....

तारीख : ....

आज दिनांक .... वर्ष .... को सत्यापित किया कि, मेरे उपरोक्त शपथ पत्र में दी गई जानकारी मेरे समस्त ज्ञान से सत्य एवं सही है एवं विश्वास कराता/कराती हूँ कि, उसमें कोई भी विवरण छुपाया नहीं गया है। मुझे शपथ पत्र का विवरण पढ़कर सुनाया गया।

शपथकर्ता/वादी

प्रमाणित

प्रमाणित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर एवं कार्यालय की सील

टीप :– शपथपत्र मजिस्ट्रेट/नोटरी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।

OFFICE OF THE EXCISE COMMISSIONER CHHATTISGARH

TENDER NOTICE

Raipur, Dated: 03 February, 2011

TENDER NOTICE FOR THE MANUFACTURING AND SUPPLY OF COUNTRY LIQUOR IN SEALED & PACKED BOTTLES FROM DISTILLERY OF THE TENDERER TO THE SUPPLY AREA OF RAIPUR, DURG, RAJNANDGAON, BASTAR, BILASPUR, KORBA, JANJGIR-CHAMPA AND RAIGARH OF THE STATE OF CHHATTISGARH.

No./EX./Distillery/2011/ 223 1. Sealed tenders (separate for each area to be mentioned in the tender) are invited from distillers for the grant of licence (s) under the provisions of the Chhattisgarh Country Spirit Rules, 1995, framed under Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) for supply of country liquor through storage warehouses situated in the supply areas of the State to the retail sale contractors of country liquor in sealed bottles after bottling and packaging in the distillery of the tenderer in Master cartons for a period commencing **from 1st April 2011 and ending with 31st March 2012.**

2/ Tender form with detailed terms and conditions may be obtained from the Office of the Excise Commissioner, Chhattisgarh, Shiv Bhawan, Byron Bazar, Raipur – 492 001 on payment of Rs. 10,000/- (Rupees Ten thousand) Only, in cash or by demand draft payable to the Excise Commissioner, Chhattisgarh, Raipur payable at Raipur. The tender forms can also be sent by post to the tenderer, if so desired by him. The documents will be dispatched through post office of the Department of Post, Government of India, after receipt of Rs. 10,100/- (Rs. Ten thousand One hundred) only, for each area to be paid in the form of bank draft of any Nationalized bank or Scheduled Commercial bank or Regional Rural bank drawn in favour of Excise Commissioner, Chhattisgarh payable at Raipur. The department however takes no responsibility for delay in the receipt of the tender form by post by the intending tenderer.

3/ Tender form will be issued till the date 23-02-2011 i.e. one day before of Tender opening.

4/ Sealed tenders may be dropped in tender box in two part as prescribed in tender document at Office of the Excise Commissioner, Raipur before **3:00 p.m. on 24 February, 2011**. The Excise Commissioner or an Officer nominated by him will open the sealed envelope **at 4:00 P.M. on the same day**.

Sd /-
(G.S.Mishra)
Excise Commissioner,
Chhattisgarh

OFFICE OF THE EXCISE COMMISSIONER CHHATTISGARH

TENDER NOTICE

Raipur, the 3rd February, 2011

TENDER NOTICE FOR THE MANUFACTURING AND SUPPLY OF COUNTRY LIQUOR IN SEALED & PACKED BOTTLES FROM DISTILLERY OF THE TENDERER TO THE SUPPLY AREA OF RAIPUR, DURG, RAJNANDGAON, BASTAR, BILASPUR, KORBA, JANJGIR-CHAMPA AND RAIGARH OF THE STATE OF CHHATTISGARH.

No./EX./Distillery/2011/ 223 . — 1. Sealed tenders (separate for each area to be mentioned in the tender) are invited from distillers for the grant of licence (s) under the provisions of the Chhattisgarh Country Spirit Rules, 1995, framed under Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No.II of 1915) for supply of Country Liquor through storage warehouses situated in the supply areas of the State to the retail sale contractors of country liquor in sealed bottles after bottling and packaging in the distillery of the tenderer in Master cartons for a period commencing **from 1st April 2011 and ending with 31st March 2012.**

2. The tenderer should be a distiller holding appropriate licence for distillery from the competent authority and their distillery should be in production. Every intending distiller is free to tender for any one or more number of supply areas indicated in the caption.

3. The under mentioned factors will be borne in mind while considering a tender / tenders for supply area / areas:-

3.1 **The compensatory rate for supply quoted** - The rate / rates quoted by a tenderer as compared to the rates quoted by other tenderers. In case of equality of lowest rates quoted by more than one tenderer, decision to consider one tender out of such tenders will be taken by draw of lots.

3.2 **Performance or conduct, if the tenderer held a similar licence in the preceding year(s)** – While assessing past performance and conduct, regularity in liquor supplies to the area / areas earlier allocated to him during the relevant period shall be taken into consideration.

3.3 **Production capacity, financial position etc.** – While determining the capability of the tenderer of supplying the required quantity of country liquor in sealed bottles from their distillery to the area / areas for which he has submitted tender(s), his production capacity and the financial resources at his command will also be kept in view.

4. The decision to accept or reject a tender shall be taken on the basis of tender / tenders received in the light of the above and any other relevant factor and **no negotiations will be held**. It is also notified for the information of intending tenderers that tenders of a distiller in respect of only such number of supply areas may be considered of which the total estimated quantity of issues of country liquor i.e. fixed annual minimum guarantee quantity for retail shops of Country liquor in the State for the year 2011–2012, does not exceed 80 percent of the quantity arrived at by deducting committed supplies of Country Liquor to other States / U.T.S. from the maximum of annual production in his distillery during the last four years i.e. 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-10 and the estimated production during the year 2010-2011.

5. If the tenderer has been a supply contractor for any area / areas during any of these years and if he has submitted tenders in respect of such number of areas of which the total estimated quantity of issues for the year 2010-2011 exceeds 80 percent of the maximum of the actual production of spirit in his distillery as aforesaid, tenders in respect of such areas, to be determined by the State Government, of which the estimated annual requirement of issues is in excess of such 80 percent of the maximum of the annual production in his distillery shall be liable to be rejected or not to be considered at all. In case of a tenderer / distiller who has not been a supply contractor during the last four years or during 2010-2011, tenders submitted by him in respect of only such number of areas may be determined keeping in view all the relevant factors including the above factors. Having decided thus about the areas in respect of which tender (s) of a distiller may be considered, the State Government may either accept different rates for different supply areas or may only approve one rate for different areas.

Tender from newly established distillery may also be considered for the allotment of supply area / areas up to 80% of the maximum of the actual production of spirit in his newly distillery on the basis of their production of Financial year wise and average production up to December, 2010 in the year 2010-11, which ever is higher.

6. The successful tenderers shall be allowed to export outside the State only after getting permission in this regard from the Excise Commissioner. The said permission shall be given only after ensuring that the exports shall not affect the continuity of supply of country liquor to the State and that minimum stock of rectified spirit and bottled liquor as provided in the sub-rule (4) of Rule 4 of The Chhattisgarh Country Spirit Rules, 1995, shall be maintained.

TERMS AND CONDITIONS OF THE TENDER

7. Every tenderer shall have to observe the following conditions amongst others:-

7.1 It is essential for the tenderer to purchase the tender document from this office and submit his rate in the format enclosed therein.

7.2 The tenderer shall deposit along with the tender, earnest money amounting to Rs.5,00,000 (Rupees Five lakh only) by crediting it in Government Treasury in Chhattisgarh under the Major Head "8443-Civil Deposits" Minor Head "Revenue Deposits, Security deposits" for each supply area and attach the treasury Challan with the tender. A bank draft issued by any branch of Nationalized Bank or Scheduled Commercial bank or Regional Rural Bank in favour of the Excise Commissioner, Chhattisgarh and payable at Raipur for an equal amount shall also be acceptable. A tender, which is not accompanied by a treasury challan or bank draft for Rs. 5.00 lakh for an area shall be summarily rejected. The earnest money deposit shall be forfeited if the tenderer, in the event of acceptance of his tender, fails to deposit security, when required to do so, or if he withdraws the tender before final decision regarding tender is taken, or fails to accept the offer if made to him or if he is unable to carry out his contractual obligations from 1st April 2011 or fails to abide by condition No.-15 of this tender notice for the warehouse office furniture's, fittings, equipments, liquor etc. In case a tender is not accepted the earnest money, if not liable to be forfeited, shall be refunded to the tenderer without any interest thereon.

7.3 The earnest money deposited under clause 7.4 above shall be adjustable towards security deposit required to be deposited under condition No.-16 by a successful tenderer at his instance and in case the earnest money is allowed to be adjusted

towards the deposit required to be made under condition No.-16 the successful tenderer shall immediately deposit the balance amount to make-up the deposit of the security amount as per Annexure-II. as required.

7.4 The tender shall be accompanied by complete address of the tenderer and if the tenderer be a firm. by a certified copy of registration of the firm. latest partnership deed. abstract of Register of Firms issued by the Registrar of Firms and Societies and a list of all partners and their complete addresses: and if the tenderer be a company. by a copy of certificate of incorporation. memorandum and article of association. a list of board of Directors certified by the Registrar of Companies along with their complete addresses and the resolution passed by the board of directors to submit the tender and enter into an agreement. in case of finalization of tender with the Excise Commissioner of Chhattisgarh.

7.5 The licensee shall not hypothecate, sell. mortgage. transfer or sub-lease any of his supply area or his licence in C.S.1 or enter into partnership for the working of the said licence. without the prior permission in writing of the Excise Commissioner. Chhattisgarh. which shall be endorsed on the licence.

8. In case of the tenderer from other states, the tender shall be accompanied by the following documents as satisfactory proof of the capacity / capability of the tenderer :-

8.1 A certified copy of his distillery licence for manufacture of Potable Alcohol granted by the competent authority along with a certificate that the distillery is in production of Potable Alcohol.

8.2 No dues and credibility certificate regarding past performance in respect of production and supply of alcohol issued by the Excise Commissioner of the State concerned where his distillery is situated. and no one else.

8.3 unconditional Consent of the Excise Commissioner of the State concerned where distillery is situated. regarding supply of the country liquor in sealed bottles from their distillery which is situated outside Chhattisgarh to this State for fulfillment of supply requirement of country liquor in sealed bottles in master cartons packaging of the area for which the tender is submitted.

8.4 Certificate regarding actual production of potable alcohol during the last five years (i.e. from 2006-07 to 2010-11) (the projected production of 2010-11 will be based upon actual updated average production) from the Excise Commissioner of the State concerned where the distillery is situated. in which annual production capacity of the distillery shall be clearly mentioned.

8.5 A certificate from the Excise Commissioner of the concerned State that the distiller has already installed or taken sufficient measures to install effluent treatment plant in the distillery and the distillery is not likely to be closed on the ground of non or inadequate effluent treatment measures during the period of contract i.e. up-to 31st March, 2012.

8.6 A certified copy of latest consent letters issued by the Pollution Control Board of the State concerned along with an undertaking by the tenderer on an affidavit that the distiller has already installed or taken sufficient measures to install effluent treatment plant in the distillery and the distillery is not likely to be closed on the ground of absence or inadequacy of effluent treatment measures during the period of contract.

Note: - The prescribed formats are attached with the tender documents.

9. Supply of country liquor:-

9.1 The successful tenderer shall supply country liquor in sealed bottles filled and packed in master cartons in the manufacturing warehouse of his distillery to the storage warehouses allotted to him. The manufacturing of country liquor in sealed bottles can be done only at the manufacturing warehouse of his distillery. The list of storage warehouses of each of the supply area, is annexed to this tender notice, as **Annexure-I**.

9.2 The successful tenderer shall use the storage warehouse (s) during the period of the contract and on expiry of the contract the storage warehouse (s) shall have to be handed over to the new successful tenderer.

9.3 It will be the responsibility of the successful tenderer to arrange the supplies of the country liquor manufactured, bottled, sealed and packed in master carton in their distillery using rectified spirit and approved sealing materials to the storage warehouses of his supply area during the entire period of contract.

9.4 The minimum and maximum selling price will be printed on every label by the successful tenderer, as directed by the Excise Commissioner.

9.5 The country spirit, bottles, labels and bottling caps should be of such good quality, standard pattern and specifications, as prescribed by the Excise Commissioner from time to time. The successful tenderer shall appoint a quality control manager at his distillery.

9.6 The country spirit shall be manufactured using rectified spirit by reducing, blending, essencing, colouring, flavouring, maturing, bottling, labeling, sealing, fixing hologram, packing in master cartons etc. The colour and essence used in manufacturing of country spirit shall be of food grade. The successful tenderer shall dispatch country liquor in sealed and packed bottles from his distillery to the storage warehouse (s). He will sell only hygienic potable country spirit to the retailers and will ensure that it is fit for human consumption. The issue price of country spirit in sealed glass bottles of volume 750 ml., 375ml. and 180ml. is fixed at Rs. 5.65, Rs.4.25and Rs.2.45 per piece respectively which will be paid by the retail contractors to the successful tenderer.

9.7 To recover his manufacturing cost and other expenses, the tenderer has to quote for compensatory price (rate) per proof litre of country liquor thus manufactured and supplied. The State Government will make this compensatory payment. No other cost shall be payable to the successful tenderer.

9.8 The bottles used in bottling of Country Liquor shall be uniformly made and must be of round shape in all the three sizes invariably i.e. 750 ml., 375 ml. and 180 ml. There would be also appropriate embossing on all the round shaped glass bottles with marking **"छ.ग.आब.दे.म." "750 ml."**, **"छ.ग.आब.दे.म." "375 ml."** and **"छ.ग.आब.दे.म." "180 ml."** respectively. The cost of empty glass bottles payable by retail contractors at the time of issue of country liquor from the storage warehouse (s), shall be as follows :-

Quantity of Glass Bottle	Embossing	Cost of Round Shaped Embossed Glass Bottle (In Rs.)
Glass bottle of 750 ml.	"छ.ग.आब.दे.म." "750 ml."	Rs.7.00
Glass bottle of 375 ml.	"छ.ग.आब.दे.म." "375 ml."	Rs. 4.25
Glass bottle of 180 ml.	"छ.ग.आब.दे.म." "180 ml."	Rs. 2.50

9.9 For importing the country liquor in the State of Chhattisgarh, the import fee on country liquor in sealed glass bottles with master cartons pack for the year 2011-12 is fixed @ Rs.6.00 per proof litre by the State Government.

9.10 The supplier is bound to follow the guidelines issued by the Excise Commissioner time to time, with regard to the packaging and quality of country liquor.

9.11 The ratio of supply of country liquor w.e.f. 01-04-2011 in different sizes of glass bottles to the retail contractors in the area / areas is fixed as under :-

750 ml.	10 B.L.
375 ml.	20 B.L.
180 ml.	70 B.L.

The above ratio means that every 100 bulk litres of supply of country liquor to the retail contractor shall consist of 10 bulk litres in glass bottles of 750 ml size, 20 bulk litres in glass bottles of 375 ml size and 70 bulk litres in glass bottles of 180 ml size.

Provided that if the retailer demands, he will be supplied with country liquor of 25 degree under proof, 50 degree under proof and 60 degree under proof in 180 ml glass bottles in lieu of 375 ml. and or 750 ml. bottles.

9.12 The ratio shown in clauses No. 9.11 above may be changed at any time during the currency of the contract at the discretion of the Excise Commissioner.

9.13 Supply of country liquor for sale through the shops run (departmentally) by the Excise Department shall be made on the above terms and conditions by the successful tenderer in which case issue price of country spirit at the rate mentioned in condition No. 9.6 will be paid by the State Government.

9.14 The successful tenderer shall affix the *Hologram Sticker* in the sealed bottles of country liquor before supplying the same to the storage warehouse (s) on his risk and responsibility. All sealed bottles issued to the retail contractor (s) of country liquor from the storage warehouses of his supply area should have hologram stickers affixed on them. Hologram Sticker will be issued to the successful tenderer from the Office of the Excise Commissioner on the payment of cost of hologram as per rate fixed by the State Government. The cost of hologram shall be deposited in the Government Treasury under head "*0039-State Excise duties*, 800- *Misc. Receipt Cost of hologram sticker*" and the copy of Challan will be submitted with application to this office.

15

10. The actual issue of country liquor may exceed the fixed annual minimum guarantee quantity of country liquor for the period 2011-12. The tenderer will be bound to meet the full requirement of supply of Rasi, Plain and Spiced liquor in sealed bottles from the distillery to the storage warehouse(s) mentioned in the area / areas.

10.1 The annual requirement might be up to 1.5 times the fixed annual minimum guarantee quantity of country liquor for the period 2011-12. The approximate quantity of fixed minimum guarantee quantity of country liquor from warehouses attached to each supply area during the period from 1st April, 2011 to 31st March, 2012 are shown below for general information :-

S.No	Name of Supply Area	Name of district (s) Comprised in the Supply area	Minimum Guarantee quantity for 2011-2012 Approximately
1.	**2.**	**3.**	**4.**
01.	Raipur Supply Area	Raipur	5304000
		Mahasamund	1775000
	Total :-		**7079000**
02.	Durg Supply Area	Durg	6384000
	Total :-		**6384000**
03.	Rajnandgaon Supply Area	Rajnandgaon	1896100
		Kabirdham	687606
	Total :-		**2583706**
04.	Bastar Supply Area	Bastar	72330
		Narayanpur	4540
		N.B.Kanker	125000
		S.B.Dantewada	35800
		Bijapur	19800
		Dhamtari	1370962
	Total :-		**1628432**
05.	Bilaspur Supply Area	Bilaspur	3815000
	Total :-		**3815000**
06.	Korba Supply Area	Korba	1070000
	Total :-		**1070000**
07.	Janjgir-Champa	Janjgir-Champa	3006000
	Total :-		**3006000**
08.	Raigarh Supply Area	Raigarh	2000343
		Jashpur	64000
		Sarguja	107000
		Koria	461484
	Total :-		**2632827**
Total :-	**8 Supply Area**	**18 Districts**	**28198965**

11. **Compensatory rates for supply**:-

11.1 A single rate for Rasi, Plain, and Spiced country liquor in Rupees per proof litre should be quoted for the period commencing from 1st April, 2011.

11.2 The successful tenderer will have to supply 60 degree under proof of Rasi, 50 degree under proof of Plain and 25 degree under proof of spiced country liquor on the rate / rates accepted / sanctioned by the Government and shall have no right to ask for revision of rates due to change in any levy, cost of raw material, export, import fee or any other taxation in any exporting or importing State / Country during the currency of the contract period.

11.3 The State Government shall have the right to extend the period of contract for such period as may appear appropriate in the circumstances prevailing at the time of conclusion of the contract period on the same terms and conditions and the successful tenderer shall be bound to continue supply during the extended period.

12. The State Government may, at its discretion, change the issue price of country spirit and cost of empty glass bottles mentioned in condition No. 9.6 and 9.8 during the currency of the contract period and the said changes shall be binding on successful tenderer / licensee.

13. Successful tenderer shall have to pay the rent of the Departmental / Government storage warehouse at such rate as may be fixed by the P.W.D. or State Government. In case of default, the rent shall be recoverable from the cost price bills of the spirit payable to the licensee. If a Government building is not available, the successful tenderer will have to make his own arrangement for storage warehouse building of his supply area.

14. Successful tenderer shall have to establish additional new storage warehouses at the place / places as directed by the Excise Commissioner.

15. The successful tenderer shall have to pay to the outgoing contractor / contractors the value of the warehouse goods and equipment, as per valuation determined by the Excise Commissioner. He shall purchase country liquor in sealed bottles in stock on the day of expiry of licence of the outgoing licensee at the rates applicable to the supplies made by outgoing licensee within thirty days from the commencement of the contract.

For the faithful observance of this condition the successful tenderer shall have to furnish in respect of each area a bank guarantee valid up to 30th June, 2012 for an amount of Rs. 2,50,000/- (Rupees Two lakh, Fifty thousand) only, issued from the branch of a Nationalized Bank or Scheduled Commercial bank or Regional Rural Bank in favour of Excise Commissioner, Chhattisgarh payable at Raipur. In case the successful tenderer fails to pay to the outgoing contractor / contractors the value of the goods and equipment as determined by Excise Commissioner and the price for country liquor in sealed bottles within 30 days, of such value and price being communicated to him by the Excise Commissioner, the bank guarantee shall be liable to be invoked and the Excise Commissioner will be authorized to instruct the bank to transfer the amount to the outgoing contractor towards payment on account of the amount due to him.

16. The conditions of the licence for supply and rules applicable to such supply are subject to revision from time to time at the discretion of the State Government. The Successful tenderer will have to deposit a security amount as mentioned in **Annexure-II** in respect of each area. This amount shall be deposited in cash or by means of a bank draft or bank guarantee valid up to **30th June, 2012** issued by a branch of any Nationalized bank or Scheduled commercial bank or Regional Rural Bank in favour of the Excise Commissioner, Chhattisgarh payable at Raipur.

17. The tenderer shall have to submit an undertaking in a format annexed with tender notice, as **Annexure-III**, to pay the losses and compensation for damages to the State Government and retail contractors in case of failure or delay of supply of country liquor in his area. In such cases, the supply of country liquor would be ensured from an alternative source at his risk and cost. If there is pendency of challans for issue of country liquor due to inadequate production of country liquor in a particular fortnight, the successful tenderer shall be treated as a defaulter. In case of more than one such continuous default it will be treated as continuous failure of supply. In such case of continuous failure of supply other exigencies, the supply area of the successful tenderer may be detached and allotted to adjoining country liquor supplier whose rate is the lowest and whose capacity is not exhausted as per condition 3.3 of this Tender Notice with a 10% increase

in his rate. In exceptional cases where, at any point of time, the Excise Commissioner feels that the contract rate has become unviable due to unusual increase in the prices of raw material, coal etc. and it is not possible for any one of the supply contractor to supply country liquor at the existing rate, then fresh Tenders may be invited for that area at the risk and cost of the defaulting supplier. The difference in price would have to be borne by the defaulting tenderer. The said losses, compensation and difference would be recoverable from the security deposit referred in Para 16 of this tender notice. Any left over recovery would be recoverable as arrears of land revenue from the tenderer.

18. **Submission of tender: -**

18.1 The tender shall be submitted in two separate sealed covers. The first sealed cover, said to be "Part One", shall contain documents / instruments detailed below and have super-scribed "Part-1/documents / instruments for the eligibility for tender for the supply of country liquor in sealed glass bottles from their distillery to supply area of ------------------ (Name of the area)". If a tenderer applies for more than one area he is required to submit the documents mentioned in conditions of 7.4 and 8 of this tender notice, once only. The certificate / document / instrument to be enclosed are as follows: -

(i) Earnest money deposit as per condition No. 7.2,

(ii) Details as per condition No. 7.4, and

(iii) Certificate/documents as per condition No. 8.

18.2 The second sealed cover said to be "Part Two" will be given only in prescribed form **Annexure IV** and submitted in double sealed cover and have super-scribed "Part-II Rate offer for the supply of country liquor in sealed glass bottles from their distillery to supply area of ----------- (name of area)". The word "sealed" means the envelope should be properly closed and pasted so that the papers inside the envelope are not readable without opening it.

Both the envelopes should be kept in one main sealed envelope and should reach the undersigned not later than **3:00 P.M. on 24th February, 2011**. The Excise Commissioner or an Officer nominated by him will open the sealed envelope **at 4:00 P.M. on the same day**. "After opening the main sealed cover, the envelope" "Part One" containing documents / instruments necessary for eligibility, shall be opened. On scrutinizing, if the Excise Commissioner is satisfied that the tenderer is eligible for submitting the tender under this notice, only then the rate offer submitted in prescribed form in "Part-Two" shall be opened.

18.3 The prescribed tender form can be obtained from the office of the undersigned on payment of Rs. 10,000/- (Rs.Ten thousand) only, for each form in cash or bank draft in favour of the Excise Commissioner, Chhattisgarh payable at Raipur.

The tender forms can also be sent by post to the tenderer, if so desired by him. The document will be dispatched through post office of the Department of Post, Government of India, after receipt of Rs. 10,100/- (Rs. Ten thousand, One hundred) only, for each area to be paid in the form of bank draft of any Nationalized Bank or Scheduled Commercial bank or Regional Rural Bank drawn in favour of Excise Commissioner, Chhattisgarh payable at Raipur. The department however takes no responsibility for delay in the receipt of the tender form by post by the intending tenderer.

19. Submission of tender by a tenderer shall imply that he has read and understood the provisions of the Chhattisgarh Excise Act 1915, rules made there under specially Chhattisgarh Country Liquor Rules, 1995 and also the detailed terms and conditions of the tender notice and the contents of the form of tender which shall be legal binding on the tenderer.

20. During the contract period of the year 2011-12, if any taxes are levied on country liquor by any department of Central Government or the State Government, the tenderer shall not claim any compensation from the Government and any such objection or claim raised by him in this regard shall not be considered.

21. These terms and conditions will be applicable in case of re-tendering during the tender period of 2011-12.

22. Minor omissions in the tender form can be got corrected on the spot by the Excise Commissioner.

23. The State Government reserves the right to reject any or all tenders, without assigning any reason.

24. In case of any disputes regarding interpretation of any terms and conditions of the tender notice, the view of the Excise Commissioner shall be final.

25. All legal disputes arising out of this tender notice shall be subject to the jurisdiction of the Courts situated in Chhattisgarh only.

Sd /-
(G.S.Mishra)
Excise Commissioner,
Chhattisgarh

Annexure-I

List of Storage Warhouses

(Under Condition No. 9.1 of Tender Notice)

S.No.	Name of supply area	District		Name of Warehouse	
1.	2.	3.		4.	
01.	Raipur supply area	1	Raipur	1.	Raipur
				2.	Gariaband
				3.	Baloda Bazar
		2	Mahasamund	4.	Mahasamund
				5.	Basna
02	Durg supply area	3	Durg	6.	Durg
				7.	Balod
				8.	Bhilai
				9.	Bemetara
03	Rajnandgaon supply area	4	Rajnandgaon	10.	Rajnandgaon
				11.	Ambagarh chowki
		5	Kabirdham	12.	Kawardha
04	Bastar Supply Area	6	Jagdalpur	13.	Jagdalpur
		7	Narayanpur		
		8	S.B.Dantewada		
		9	Bijapur		
		10	N.B.Kanker	14.	Kanker
		11	Dhamtari	15.	Dhamtari
05	Bilaspur supply area	12	Bilaspur	16.	Bilaspur
				17.	Mungeli
06	Korba Supply Area	13	Korba	18.	Korba
07	Janjgir-Champa Supply Area	14	Janjgir Champa	19.	Janjgir
				20.	Shakti
08	Raigarh supply area	15	Raigarh	21.	Raigarh
				22.	Sarangarh
		16	Jashpur	23.	Kunkuri
		17	Sarguja	24.	Ambikapur
		18	Koria	25.	Manendragarh
				26.	Chirmiri

Annexure-II

SUPPLY AREA WISE SECURITY AMOUNT

(Under Condition No. 16 of Tender Notice)

S.No.	Name of Supply area	Security Amount in lakh Rupees
1.	**2.**	**3.**
1-	Raipur	Rs. 35.00
2-	Durg	Rs. 35.00
3-	Rajnandgaon	Rs. 30.00
4-	Bastar	Rs. 20.00
5-	Bilaspur	Rs. 30.00
6-	Korba	Rs. 20.00
7-	Janjgir Champa	Rs. 30.00
8-	Raigarh	Rs. 30.00

Annexure-III

UNDER TAKING

1. I / We.. offering tender to supply country liquor in sealed bottles from the storage warehouses of......................... supply area, do hereby undertake, that in the event of the acceptances of my / our tender. I / We shall be responsible to pay the losses and compensation to the State Government and retail contractors in case there occurs any failure of supply of country liquor in the area.

2. I / We further undertake that in cases of any failure of supply of country liquor in the area the supply of country liquor would be ensured from an alternative source at my / our risk and cost. If there occurs pendency of challans for issue of country liquor due to inadequate production in a particular fortnight. the Department will have the right to treat me / us as defaulter. In case of more than one such continuous default. it will be treated as continuous failure of supply.

3. In such case of continuous failure of supply, supply area (s) granted to me / us may be detached and allotted to the adjoining country liquor supplier. whose rate is lowest and whose capacity is not exhausted as per tender notice condition No. 3.3. with a 10% increase in the rate. In exceptional cases where at any point of time, if the Excise Commissioner feels that the contract rate has become unviable due to unusual increase in the prices of raw materials. coal etc. and it is not possible for any one of the supply contractor to supply country liquor at the existing rate, then fresh tenders may be invited for the area at my / our risk and cost.

4. The difference in price would be borne by me / us and the losses, compensation and difference amount would be recoverable from my / our security deposit. Any amount of left-over recovery would be recoverable from me / us, as arrears of Land Revenue.

Place: -

Date: -

Signature of the Tenderer
With full addresses

Annexure -IV

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
EXCISE DEPARTMENT

Tender for supply of Country Liquor in Sealed Bottles from Distillery to Storage Warehouses of the supply area.

From 01-04-2011 to 31-03-2012

I / We (Name of tenderer company or firm) ....
Resident of (Full Address)..
hereby submit a Tender which has been invited for the supply of country liquor in sealed bottles from our distillery to the supply area.. (Name of supply area) of the State of Chhattisgarh and its transportation after manufacturing and bottling at our distillery to storage warehouses attached thereto and for its supply from storage warehouse(s) to retail sale by contractors in sealed bottles. I / We, am / are submitting the following rate though this tender. I/We have studied the tender conditions with Rules of Chhattisgarh Country Spirit Rules, 1995 and I/We, am/are shall act according to the conditions of the tender notice under rules and regulations :-

(Name of the area for which the tender is being submitted should be mentioned)

Name of the Supply area ------------------------------

No.	Description	Rate Per proof liter (In Rupees)
1.	Spiced country liquor of 25 U.P. (Caramel colour), Country liquor of 50 U.P. (Plain) and Country liquor of 60 U.P. (yellow colour) to be supplied with packaging in master carton from distillery to storage warehouse (s) for issue to retail sale contractors in sealed bottles of the supply area. listed in the tender documents.	

A Treasury Challan / Bank draft of Rs. 5,00,000/- (Rupees Five lakh) only, deposited as earnest money is attached along with the tender. If before or after acceptance of the tender of contract, if I refuse or show reluctance in taking the contract or unable to carry out the contract or do not deposit immediately after the receipt of order indicating the acceptance of my tender the prescribed security amount required in terms of the tender notice, then the aforesaid earnest money of Rs. 5,00,000/- (Rupees Five lakh) only will be liable to be forfeited to Government and I or my heirs or representatives in interest will have no objection thereto.

Dated

Signature of Authorized Signatory
(Submitting the tender)

Full Name..
Designation ....
Address..
Tel.Ph.No. ....
Mob. No. ....
Fax No. ....
E-mail ....

Notes ;-(i) If any change is made in the enclosed tender condition by the tenderer. the tender will not be considered and will be rejected.

\(ii) It is not necessary that the lowest rates shall be accepted. The State Government / Excise Commissioner can accept or reject any tender without assigning any reason there of .

(iii) It is essential to fill this form and submit it in envelope marked part-II. Name of the supply area for which the tender is being submitted should be mentioned clearly. Authorized signatory may be asked to produce a letter of such authorization.

Format- A-1

OFFICE OF THE EXCISE COMMISSIONER

----------------------- (State)

CERTIFICATE

This is to certify that M/s .... has got a distillery located at................................. . He is having distillery licence of our State for the year 2010-11 (Certified copy of the licence is attached herewith). The distiller is financially sound to supply of country liquor in sealed bottles in master cartons packing from their distillery to the State of Chhattisgarh. The distillery can produce .... lakh (in words ....) bulk liters of spirit per annum. It is further certified that the distillery is currently in production.

Issued on

Date....................

Place.......................

.... (Name)
Excise Commissioner,
.... (State)

Format- A-2

OFFICE OF THE EXCISE COMMISSIONER

------------------------ (State)

NO DUES AND CREDIBILITY CERTIFICATE

This is to certify that M/s .... has no dues whatsoever as on .... (Date) and its past performance regarding production and supply of alcohol in our State have been satisfactory.

Issued on
Date....................
Place......................

.... (Name)
Excise Commissioner,
.... (State)

Format- A-3

OFFICE OF THE EXCISE COMMISSIONER

------------------------ (State)

CONSENT LETTER

This is to certify that we have no objection for export of country liquor in sealed bottles in master cartons packing from our State to the State of Chhattisgarh for supply of country liquor to the retail vendors from storage warehouse(s) by M/s .... who run distillery at .... for the financial year 2011-2012 (and thereafter also, if required) to the tune of minimum *............... (In words) .... proof litre.

2/ We hereby give our unconditional consent to allow M/s............................ to export country liquor in sealed bottles in master cartons packing during 2011-12 to supply areas of Chhattisgarh allocated to them as per their full demand.

Issued on

Date....................

Place......................

.... (Name)
Excise Commissioner,
.... (State)

*Total estimated issues for 2011-2012 for the area/areas tendered for should be given.

Format- A-4

OFFICE OF THE EXCISE COMMISSIONER

------------------------ (State)

PRODUCTION CERTIFICATE

This is to Certify that the actual production of Spirit in distillery located at .... and owned by M/s .... during last five years is as under: -

Financial Year	Production in distillery (in proof litre)	Spirit purchased from other sources (in proof litre)
1.	**2.**	**3.**
2006-2007		
2007-2008		
2008-2009		
2009-2010		
2010-2011 (up to Dec.2010		

Issued on

Date....................

Place.....................

.... (Name)

Excise Commissioner,

.... (State)

Format- A-5

OFFICE OF THE EXCISE COMMISSIONER

------------------------ (State)

POLLUTION CONTROL CERTIFICATE

This is to certify that M/s .... has already got consent from the Pollution Control Board of the State and it has installed effluent treatment plant in its distillery located at................................. . The distillery is not likely to be closed on the ground of absence or inadequate effluent treatment measures during the period of contract i.e. from 1st April, 2011 to 31st March, 2012.

Issued on

Date....................

Place......................

.... (Name)
Excise Commissioner,
.... (State)